हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2025 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

28.11.2025/1100/पी0बी0/डी0सी0-1

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरम्भ।

स्थगित प्रश्न **संख्याः 3006**

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अनुपस्थित।

स्थगित **प्रश्न संख्याः 3461**

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सूचना एकत्रित की जा रही है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री जय राम ठाकुर जी कृपया बैठ जाइए, आप अपना विषय प्रश्न काल के बाद रख सकते हैं।...(व्यवधान) मैं प्रश्न काल के बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा। ...(व्यवधान) आज सत्र की तीसरा दिन है आप प्रश्न काल चलने दीजिए।...(व्यवधान)

(विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

प्रश्न संख्याः 3571

श्री केवल सिंह पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं ...(व्यवधान)

Speaker: Hon'ble Revenue Minister will reply to this Question. ...(Interruption). I will permit you to speak, but after the Question Hour(to the Members of Opposition). ...(Interruption). I am not debating from the Rules. ...(Interruption).I will give you chance after the Question Hour. Please take your seats. ...(Interruption). Hon'ble Member Shri Kewal Singh Pathania would you like to supplement the Question. ...(Interruption).

श्री केवल सिंह पठानिया: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 1500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा के बारे में जानना चाहता हूं।

28.11.2025/1100/पी0बी0/डी0सी0-2

(विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो 1500 करोड़ रुपये आपदा राहत पैकेज के रूप में प्रदान करने की घोषणा की है उसका एक भी पैसा अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)

श्री केवल सिंह पठानिया: अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बार जो आपदा आई उसका आकलन करने के लिए जो हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों व माननीय मुख्य मंत्री के प्रयासों से केंद्र की टीम आई थी उनके आंकड़ों के अनुसार कितने घरों को क्षति पहुंची है और अन्य माल का कितना नुकसान हुआ है? केंद्र सरकार ने जो 1500 करोड़ रुपये की घोषणा की थी वह हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मैं इस प्रश्न के जरिए यह पूछना चाहता हूं कि आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? चाहे यह नुकसान भरमौर में हुआ हो, सिराज में हुआ हो, चम्बा में हुआ हो, कांगड़ा में हुआ हो या मेरे विधान सभा क्षेत्र की करेरी पंचायत के जांगली गांव में हुआ हो। ...(व्यवधान)

श्री ए0पी0 द्वारा जारी......

28.11.2025/1105/D.C./A.P./01

प्रश्न संख्या 3571 जारी .....

श्री केवल सिंह पठानिया जारी ......

मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुर में जब आपदा आई उस आपदा में लगभग 28 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि इस आपदा में हिमाचल प्रदेश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस आपदा में कितने ही ऐसे घर थे जो इस आपदा में बह गये कितने घरों की दिवारें टूट गई, कितने रास्ते, पानी की स्कीम्ज खराब हो गई। भारत के प्रधान मंत्री आये और उन्होंने प्रदेश को इस आपदा से निपटने के लिए 1500 करोड़ रुपये के आपदा राहत पैकेज देने की घोषण की। हिमाचल की जनता उनसे पूछ रही है कि वह रुपया कहां हैं?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया है और जो स्पेशल राहत पैकेज वर्ष 2023 में प्रभावित क्षेत्रों को दिया गया था उसी तर्ज पर इस वर्ष आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को भी विशेष पैकेज राज्य द्वारा दिया गया है जिसमें मुख्यतः सिराज विधान सभा क्षेत्र के ऐसे मकान जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए है उनको दिया है। अभी प्रदेश में आई आपदा से करीब-करीब 1800 मकानों को पूर्णतः क्षतिग्रस्त घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त 8000 से ज्यादा मकान आशिंक रूप से क्षतिग्रस्त हुए है जिन्हें एक लाख रुपये प्रति मकान राहत पैकेज देने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई है। वहां पर प्रभावितों को मुख्य मंत्री द्वारा प्रथम किश्त में चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता की गई है।

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025 में आपदा से प्रदेश को लगभग 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुक्सान हुआ है। जब माननीय प्रधान मंत्री जी हिमाचल दौरे पर आए तो उनके द्वारा दिनांक 9 सितंबर, 2025 को 1500 करोड़ रुपये के आपदा राहत पैकेज की घोषणा की गई। जो घोषणा माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा की गई यह ऊंट के

28.11.2025/1105/D.C./A.P./02

मुंह में जीरे के समान है। फिर भी हमने इनकी इस घोषणा का स्वागत किया लेकिन आज तीन महीने हो गये है और अभी तक राहत पैकेज प्रदेश को नहीं मिल पाया है। ...(व्यवधान) और आज जब आपदा से संबंधित जब यह प्रश्न लगा है तो विपक्ष के साथियों द्वारा सदन में इसलिए शोर-शराबा किया जा रहा है ताकि इन्हें केंद्र सराकर से जो 1500 करोड़ रुपये की राहत राशि प्रदेश को मिलनी है उससे संबंधित प्रश्न न उठाए जाए। ...(व्यवधान)।

Speaker : I will take note of that. माननीय राजस्व मंत्री जी आप जबाव दें। Please provide additional information to Hon'ble Member Shri Kuldeep Rathore which he is wanting. ...(interruption). Nothing is going on record except the version of Hon'ble Revenue Minister. ...(interruption).

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का इस तरह का व्यवहार इनकी नियत पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत पैकेज में 1500 करोड़ रुपये की राहत राशि अभी तक प्रदेश सरकार को जारी नहीं की गई है। ...(व्यवधान) (राजस्व मंत्री विपक्ष के नारों का जबाव देते हुए) अध्यक्ष महोदय,(***)...(व्यवधान)

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

अध्यक्ष : अगला प्रश्न संख्य 3572

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ......

28.11.2025/1110/AT/HK.01

प्रश्न संख्याः 3572

अध्यक्ष : श्री लोकेन्दर कुमार, आनी (Not interested)

प्रश्न संख्याः 3573

Speaker: Nothing is going on record except the replies and the questions.

श्री चंद्र शेखर : अध्यक्ष जी, आपके ...(व्यवधान)

Speaker: Please maintain order in the House. I will request the Hon'ble Members of the Opposition please take your seats. ...(Interruption) Order in the House please.

श्री चंद्र शेखर : धर्मपुर, टिराह, संधोल और मंडल। अध्यक्ष जी, इनमें 80-90 प्रतिशत अस्पताल का कार्य पूरा हो चुका है और 6-7 मंज़िल के अस्पताल बन चुके हैं। अभी धर्मपुर अस्पताल में लिफ्ट का कार्य पूरा हुआ है। संधोल अभी भी वेट कर रहा है। टिहरा अस्पताल का लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अध्यक्ष जी, उन सभी अस्पतालों में एक्स-रे मशीनें 22 साल पुरानी हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि डॉक्टरों का बहुत बड़ा टोटल कई दशकों के बाद पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन 4-5 दिन के बाद डॉक्टर बदल दिए जाते हैं, जिससे तकलीफ़ बढ़ जाती है।

दूसरी तरफ जो एक्स-रे मशीनें 20-22 साल पुरानी पड़ी हैं, उनकी वजह से इलाज के कारगर तरीके पूरे नहीं हो पाते हैं। एक्स-रे मशीनों को बदलने की आवश्यकता थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अल्ट्रासाउंड मशीन और सी0टी0 स्कैन मशीन देने की घोषणा और आश्वासन पिछली बार दिया है, परंतु उसे पूरा किया जाना अभी बाकी है। लेकिन जो तकलीफ़देह स्थिति है। वह अस्पताल की सफाई को लेकर न केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र में बल्कि अन्य जगहों पर भी ऐसा लगता है कि सफाई कर्मचारियों को रखना बहुत आवश्यक है। स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर कोई योजना या सेक्शन पोस्ट दी जाएगी?, ताकि अस्पतालों के अंदर जो सफाई व्यवस्था

28.11.2025/1110/AT/HK.02

बिगड़ रही है उसमें सुधार किया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से इसका आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। ...(Interruption) Please take your...

Continued in English by H.K. .....

28.11.2025/1115/HK/MD/-1

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। ...(Interruption) Please take your seats, This is enough now. Please take your seats. Order in the House please. ...(Interruption) Please take your seats. I will request the Hon'ble Members of the Opposition, please take your seats. ...(Interruption) I will be permitting you after the Question Hour. After Question Hour I will give you a chance whatever you want to speak. ...(Interruption) after Question Hour not now. I am requesting you please take your seats. ...(Interruption) Please, please take your seats. ...(Interruption) Whatever you want to say that is not going on record I am not permitting you to speak. I am requesting you to please take your seats. ...(Interruption) I am requesting you please take your seats, thereafter, I will give you a chance. ...(Interruption) Whatever you want to say I will give you chance and I will listen to that also, in any case, if any intervention will be required from the Chair certainly I will do that also. Please, please ...(Interruption) not now, after the Question Hour. Please take your seats. ...(Interruption) माननीय मंत्री महोदय। ...(Interruption) Please I am requesting you all ...(Interruption) Please let us not to create unpleasant atmosphere in the House. ...(Interruption) I am very cooperative to you all. I will be taking care of your issues. ...(Interruption) Please, please, I will give you a chance afterwards.

…(Interruption) I will give you a chance. Please take your seats. …(Interruption) I will give you chance afterwards. …(Interruption) Let the Question Hour be over. Yesterday also, for half-an-hour, this House debated that why there should not be a Question Hour. Yesterday also and I have given a ruling that there will be a Question Hour. Every day even if an adjournment motion comes, even that is admitted still the Question Hour we will take up. So I am taking up as per the yesterday's ruling and as per your insistence also. …(Interruption) Please, please take your seats. …(Interruption) Shri Vipin Singh Parmar ji, you have been a Speaker

28.11.2025/1115/HK/MD/-2

…(Interruption) Please take your seats. I am requesting you all. …(Interruption) Please don't create unpleasant atmosphere in the House. …(Interruption) Please maintain order in the House. …(Interruption) Please take your seats. …(Interruption) I will give you a chance after the Question Hour. …(Interruption) We have a Zero Hour also. Thereafter I will give you a Point of Order for clarification also, whatever statements you want to from the Ruling from the Government, I will give you a chance. …(Interruption) I will give you a chance. I am requesting you all please don't create unpleasant atmosphere in the House. माननीय मंत्री महोदय । …(Interruption) Please take your seats. …(Interruption) No, I am not permitting at the moment. …(Interruption) Please take your seats. …(Interruption) No, I am not permitting you at this stage. I will be giving you a chance after the Question Hour. …(Interruption) Please take your seats. …(Interruption) Harshwardhan Ji, please, don't escalate the issues. …(Interruption) Please take your seats. माननीय मंत्री महोदय। …(Interruption) Please take your seats. I am requesting you all, I will give you a chance.

...(Interruption) I am very fair to you all. ...(Interruption) I want the proceedings to run and House to run. Proceeding to be conducted in the larger interest of the State. There are very important questions which have been listed for today's business . Yesterday also we couldn't take up the questions, day before yesterday we could not take the questions, today is 3rd day of the House, we are having 8 sittings. What is the purpose of 8 sittings in any case if we will not discuss the public issues in the House. Enough is enough. ...(Interruption) you have made a DHARNA PRADARSHAN outside whatever it is from both sides, I will take a cognizance of it. If I have taken a decision, I will be giving you a chance afterwards. ...(Interruption) No, no, please ...(Interruption) माननीय मंत्री महोदय। ...(Interruption) Please take your seats.

28.11.2025/1115/HK/MD/-3

...(Interruption) Please take your seats. Let the Hon'ble Minister reply. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Enough please ...(Interruption) I will be give you a chance. ...(Interruption) Parmar Sahab, I will give you a chance. I will give a chance to everybody after the Question Hour. Whatever you want to say certainly that will form the part of the record but yet not. I am not permitting you. Nothing is going on record except my statements of the Hon'ble Minister. ...(Interruption) ...(Interruption) I will give you a chance. Please take your seats. ...(Interruption) I am listening you please. Time and again I am requesting to you all please take your seats ...(Interruption) I am requesting you all ...(Interruption) You see, again that in the Question Hour there will be a interruption which I am not likely to do. माननीय मंत्री महोदय। Please take your seats. Don't create unpleasant mess.

Health and Family Welfare Minister : Mr. Speaker, Sir, our House has a special respect all over the country. On behalf of the Hon'ble Speaker, I request you all please don't shout. It is very important question which the Hon'ble Member have asked. ...(Interruption)

Speaker : Hon'ble Minister please reply to the supplementary. Don't take a note of others.

Health and Family Welfare Minister : Mr. Speaker, Sir, it is a very important question regarding the health care. I happened to visit this centre myself. We enjoy the very good reputation across the country ...(Interruption) आप लोगों को पूरा मौका मिलेगा।

Speaker : Hon'ble Minster please you reply to the question I have requested them, in any case, if they won't adhere to my suggestions then it is their wish only. **Continued in English by Y.K. ...**

28.11.2025/1120/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्या : 3573 जारी....

Health & Family Welfare Minister : Hon'ble Speaker, Sir, Civil Hospital Dharampur is a very good hospital and around 90 per cent work is already done there. I along with the Hon'ble Member of that area, visited it personally and so far as the Civil Hospital Tihra, Civil Hospital Sandhole and Community Health Centre Mandap. At Tihra and Sandhole approximately 95 per cent of the work is completed there. A Safai Karmchari is required there. I had a floated a letter that how can we engage a permanent safai personnel there. We can hire a person through RKS who can work for three to five years. The X-ray machine has been repaired and they will also get all other facilities which are not installed at the moment. All these hospitals are very important. There OPD

good. I have personally seen OPD there. **I assure the Hon'ble Member that all these pending works at Civil Hospital Dharampur, Civil Hospital Tihra and Civil Hospital Sandhole soon be completed within a year or so and the work of the CHC Mandap will also be completed within two years.** ...(Interruption) **I also assure the Hon'ble Member that there is a good work going on in all these four hospitals and this will get the higher funding and the work is being completed in the given time.**

श्री चंद्र शेखर : अध्यक्ष जी, जिस तरह से मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि एक्सरे मशीन ही नहीं है और सरकार का खुद का भी यही जवाब है कि वहां एक्सरे मशीन नहीं है और बिना एक्सरे मशीन के सिविल अस्पताल काम नहीं कर सकता। लगातार वहां लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 22 साल पुरानी सी.एस.आर. में मिली हुई एक्सरे मशीन हटाई जानी चाहिए। एक्सरे मशीन सी.एस.आर. में मिली है और यह जुगाड़ से लाई गई है। वह भी खराब पड़ी है और लोगों को प्रतिदिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां आस-पास कोई प्राइवेट मशीन भी नहीं है। वह डिफंक्ट हो चुकी है। मेरी बार-बार रिक्वेस्ट है कि वहां पर एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन भी दी जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर कम से कम एक अस्पताल तो हो जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड

28.11.2025/1120/केएस/वाईके/2

और सिटी स्कैन की सुविधा हो। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं क्योंकि यह मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं का प्रश्न है।

Speaker : Hon'ble Chief Minister wants to intervene. ...(Interruption) Please take your seats. I will give you chance.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी ने अपने विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित एक्सरे मशीन जो कि 22 साल पुरानी है, के बारे में कहा। **मैं आश्वासन देना**

चाहता हूं कि आने वाले समय में वहां चाहे एक्सरे मशीन हो या अल्ट्रासाउंड की मशीन लगनी होगी, हिमाचल सरकार समयबद्ध तरीके से उसकी आपूर्ति करवा देगी ।

प्रश्न संख्या 3574

Speaker : Please, take your seats. Before that, I take another question Smt. Reena Kashyap is there in the House whether she is interested to ask this Question or Not? Question No. 3574 are you interested to ask the Question? No, she is not interested. ...(Interruption) Please take your seats. These are very important Questions. Please take your seats. ...(Interruption) Smt. Reena Kashyap doesn't want to ask the Question.

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर नारेबाजी करते रहे)

प्रश्न संख्या : 3575

Speaker : Shri Prakash Rana not interested.

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य वैल में आ कर नारेबाजी करने लगे)

अगला प्रश्न अ0व0 की बारी में----

28.11.2025/1125/av/yk/1

प्रश्न संख्या : 3576

अध्यक्ष : श्री राम कुमार अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या : 3577

अध्यक्ष : श्री सुख राम चौधरी not interested.

प्रश्न संख्या : 3578

अध्यक्ष : श्री मलेन्द्र राजन जी, एक मिनट बैठिए। I am requesting you all please take your seats. Please take your seats. ...(Interruption) Don't create unpleasant atmosphere. Please, take your seats. ...(Interruption) Please, take you seats. Leave the Well. ...(Interruption) Please, don't create unpleasant atmosphere. I am adjourning the House for ten minutes and after ten minutes there should be Order in the House and I should not be forced to take unpleasant decision. Now I am adjourning the House for ten minutes to be Order in the House. The House adjourned till 11.35 AM.

टी सी द्वारा जारी

28.11.2025/1145/टी0सी0वी0/ए0जी0/-1
प्रश्न संख्या : 3578 ... क्रमागत्

(माननीय सदन की बैठक 11.45 बज़े पूर्वाह्न पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन जी आप अपने प्रश्न के बारे में पूछिए।

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र में क्रशर उद्योग के संदर्भ में जानकारी लेना चाहता था ताकि इसकी जानकारी माननीय सदन के साथ-साथ

प्रदेशवासियों को भी उपलब्ध हो सके। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र इन्दौरा के अंदर पिछले तीन वर्षों में एक भी नये क्रशर को लगाने की अनुमति नहीं दी गई। मेरा विधान सभा क्षेत्र पंजाब से सटा होने के कारण वहां बॉर्डर के साथ ही पंजाब के क्रशर यूनिट्स लगे हुए हैं और वे रात के अंधेरे में लगातार इलीगल माइनिंग करते रहते हैं। मैंने इस प्रश्न को पहले भी माननीय सदन में उठाया था और उसके बाद वहां पर अवैध खनन पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री जी का धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं।

एन0एस0 द्वारा जारी .....

28-11-2025/1150/NS-AG/1

प्रश्न संख्या :3578 -----क्रमागत

श्री मलेन्द्र राजन-----जारी

मेरा आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि वहां पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ पंजाब के क्रशर यूनिट्स लगे हुए हैं और ये रात के अंधेरे में हिमाचल में आकर माइनिंग करते हैं। इनको तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि इनको कब तक बंद करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पिछले दिनों जो आपदा हुई उससे ब्यास नदी के कारण इन्दौरा और फतेहपुर में बहुत नुकसान हुआ है। अब भी वहां पर अवैध खनन की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। हालांकि, बहुत से ब्लैकमेलर इसकी आड़ में अपना धंधा चमका रहे हैं। हम ब्लैकमेलिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन वहां पर ब्यास नदी में बहुत अवैध खनन हो रहा है और उसको तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए। मैं इसके लिए उद्योग मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं और मेरे क्षेत्र में अवैध खनन से जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जाए। इसको कब तक सुनिश्चित कर दिया जाएगा?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है तो इनके चुनाव क्षेत्र में 43 स्टोन क्रशर्ज लगे हुए हैं जिनमें से 34 स्टोन क्रशर्ज चले हुए हैं। यह विषय बड़ा ही गंभीर है। पंजाब के स्टोन क्रशर हिमाचल के बॉर्डर के साथ पठानकोट में लगे हुए हैं और यह बाउंडरी डिस्प्यूटिड है। पहले एक बार उपायुक्त, जिला कांगड़ा ने इसकी डिमार्केशन पंजाब सरकार को भी लिखी थी लेकिन किन्हीं कारणों से वह डिमार्केशन नहीं हो पाई है क्योंकि बाउंडरी डिस्प्यूटिड है। पंजाब में मटीरियल कम है तो पंजाब के लोग हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से मटीरियल आकर ले जाते हैं और हिमाचल प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों के लोग उनको मटीरियल सप्लाई करते हैं। पिछली बार इस इश्यू को श्री भवानी सिंठ पठानिया जी ने भी उठाया था और कहा था कि बहुत सारे लोग प्राइवेट लैंड से अवैध रूप से मटीरियल को चाहे हिमाचल प्रदेश के क्रशर्ज हों या पंजाब के हों, उनको बेचते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार दोबारा से डिमार्केशन के लिए पंजाब सरकार को लिखेगी ताकि डिमार्केशन के बाद बाउंडरीज की क्लेरिटी बन जाए और पुलिस उसमें कार्रवाई कर सके। अब कई केसिज में ऐसा हुआ कि हिमाचल पुलिस ने पंजाब की बाउंडरी में जा कर उनको पकड़ लिया जोकि

28-11-2025/1150/NS-AG/2

क्लेरिफाई नहीं है क्योंकि डिमार्केशन नहीं हुई है। सख्त कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो क्षेत्र है हमें वहां से रॉयल्टी वर्ष 2022-23 में 4.98 करोड़ रुपये आई थी। वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 6.96 करोड़ रुपये हो गई है। वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 11.44 करोड़ रुपये हो गई है। वर्ष 2022-23 की तुलना में ये रॉयल्टी डबल हुई है। हमने हिमाचल प्रदेश के लिए नई माइनिंग पॉलिसी बनाई है और उसके तहत अवैध माइनिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है। नूरपुर सब-डिवीजन, ऊना, सिरमौर और सोलन व अन्य क्षेत्रों में सख्त कार्रवाई की गई है। हमने बहुत कन्फिस्केट किया है। एल0एन0टी0, जे0सी0बी0, टिप्पर जब्त किए हैं और पुलिस व माइनिंग डिपार्टमैंट ने कार्रवाई की है। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में वर्ष 2022-23 में रॉयल्टी 241 करोड़ रुपये आती थी लेकिन

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

28.11.2025/1155/RKS/AS-1

प्रश्न संख्याः 3578... जारी

उद्योग मंत्री... जारी

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 में 314 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 में 354 करोड़ रुपये रॉयल्टी बढ़ी है। वर्ष 2022-23 की तुलना में हमारी रॉयल्टी लगभग 40 प्रतिशत इंक्रीज हुई है। हमारी कोशिश है कि इस वित्तीय वर्ष में हम रॉयल्टी को लगभग 400 करोड़ रुपये तक पहुंचाएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अवैध माइनिंग को चैक किया जाएगा और बाउंड्रीज की डिमार्केशन करवाकर उचिव कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

प्रश्न संख्या : 3579

श्री सुरेन्द्र शौरी : अनुपस्थित

28.11.2025/1155/RKS/AS-2

प्रश्न संख्या : 3580

श्री विनोद सुल्तानपुरी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो म्यूटेशन करवाने का हिस्टोरिक स्टेप लिया है उससे हिमाचल प्रदेश के वासियों को बहुत फायदा हुआ है। सर, कई ऐसे रोड हैं जिनकी अभी तक म्यूटेशन या गिरदावरी नहीं हुई हैं। वे रोड लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए हैं लेकिन उनमें आज बहुत लिटिगेशन हो रही है। मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूं कि गंभर पुल का रोड काफी वर्षों से एग्जिस्ट है। कागजों में कई रोड कहीं और जगह दिखाए गए हैं जबकि प्रेक्टिकली वे रोड कहीं दूसरी जगह से गए हैं। इस कारण लिटिगेशन बहुत बढ़ रही है और लोग मुआवजे की मांग करने लगे हैं। गिरदावरी न होने के कारण ये रोड लोक

निर्माण विभाग के अधीन नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर क्या स्टेप लेंगे?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो विभिन्न विभागों या विशेषकर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनाई गई हैं उनमें बहुत सारी सड़कों का इंद्राज गिरदावरी में नहीं हुआ है जिस कारण अभी भी कब्जा मालिकों के नाम पर ही है। इसमें समय के साथ बहुत सारी लिटिगेशन्ज हो रही है क्योंकि उस समय जिन लोगों ने सड़क बनाने के लिए भूमि डोनेट कर एन0ओ0सी0 दी थी उनमें बहुत सारे लोग गुजर भी गए हैं। उनके परिवार वाले अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राजस्व विभाग द्वारा हर 6 महीने के बाद गिरदावरी की जाती है। इसलिए सभी विभागों को गिरदावरी करवाकर अपने असैट्स का इंद्राज करवाना चाहिए। अगर कहीं हमारी ओर से कोई कमी होगी तो आप हमें बताएं, हम उसमें तेजी लाएंगे।

प्रश्न संख्या : 3581

श्री डी0एस0 ठाकुर : अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या : 3582

डॉ0 जनक राज : अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या : 3583

श्री बिक्रम सिंह : अनुपस्थित।

28.11.2025/1155/RKS/AS-3

प्रश्न संख्या : 3584

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

Zero Hour

Speaker: Now the Zero Hour will start. I have some issues under Zero Hour with me. Hon'ble Member Sh.Jeet Ram Katwal seems to be absent. Now Hon'ble Member Sh. Kewal Singh Pathania will raise his issue under Zero Hour.

(विपक्ष के सभी सदस्य सदन के अंदर वापिस आए।)

श्री केवल सिंह पठानिया जी आप कृपया बैठ जाइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी क्या आप बोलना चाहते हैं?

श्री बी0एस0द्वारा जारी

28.11.2025/1200/बी.एस./डी.सी.-1

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल जो माननीय सदन में नियम-67 के अंतर्गत चर्चा हो रही थी और जब हम इस सदन के अंदर नहीं थे तो हमारी गैर मौजूदगी में यहां सत्ता पक्ष के कुछ साथियों ने बहुत सी बातें कही हैं। मैं बाकी चीजों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं विशेष तौर से जिक्र करना चाहूंगा कि हमारा आग्रह जो नियम -67 पर चर्चा के लिए था। वह आग्रह था कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के अतिरिक्त जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव को ले करके हमें लग रहा है इन्हें पोस्टपोन या आगे करने की सरकार की मंशा है। इस पर हमने चर्चा चाही थी। यदि कोई माननीय सदस्य विषय से हट करके अपनी बात कहे तो समझ में आता है लेकिन मंत्री जब उस विषय से हट करके बोलते हैं जिस विषय का कोई लेना-देना नहीं है तो निश्चित रूप से हैरानी होती है और हैरानी के साथ चिंता भी होती है। मैं इस बात को भी देख रहा था कि जब राजस्व मंत्री जी यहां पर बोलने के लिए उठे तो आपने उन्हें कहा था और विशेष रूप से आग्रह किया था कि वे आज के विषय पर ही बोले। लेकिन आदत के मुताबिक वे उस विषय पर नहीं बोले और जिस प्रकार से उन्होंने इस माननीय सदन के अंदर जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है और इन शब्दों का इस्तेमाल देश की नहीं दुनियां की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके खिलाफ किया गया है। हम विचारधारा में अलग-अलग हो सकते है और इसमें

हमें किसी बात की आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो गंभीर आरोप जिस प्रकार से सदन के कार्यवाही का हिस्सा बने हैं हमारा एतराज उस पर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिम लीग के साथ बनाई गई। क्या यह इतिहास का हिस्सा है, क्या यह कहीं रिकॉर्ड में है? आगे बढ़ करके बहुत सारे शब्द हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। वे रिकार्ड का पार्ट नहीं होने चाहिए और विशेष तौर से जो "भाजपा भगाओ बेटे बचाओ" इस बात को लेकर आपका क्या अभिप्राय है और कोई इंस्टाग्राम की एक पोस्ट का जिक्र किया गया। जिस राज्य में घटना घटित हुई है उस राज्य में कम्युनिस्ट की सरकार लंबे समय से है न जाने कितने राज्यों में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की वहां पर मार-काट करके हत्या कर दी गई है। हमेशा वहां पर षड़यंत्र के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। चाहे वहां की बात है चाहे पश्चिम बंगाल की बात है। इस बात की आपके पास क्या पुष्टि है और किस तथ्य

28.11.2025/1200/बी.एस./डी.सी.-2

के आधार पर आप इस बात को कहते हैं कि इन्टाग्राम पर कुछ ऐसी बातें है और कुछ बातों का जिक्र है? मंत्री महोदय ने यहां पर जिसका जिक्र कर विधान सभा के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का प्रयत्न किया है और उसके बाद आगे बढ़ करके कहा कि आर.एस.एस. वालों ने माफिया मांगी है, न तथ्य है न रिकॉर्ड है न कोई सच्चाई है। उसके बावजूद आप इन सारी चीजों को ले करके इस प्रकार से बातें कह रहे हैं। महात्मा गांधी जी की हत्या के बारे में आपने रेफरेंस दिया है। उसके बारे में भी इन्हीं बातों का जिक्र किया है। कभी टोपी का जिक्र किया है, कभी निक्कर का जिक्र किया है, कभी डंडे का और कभी झंडे का जिक्र किया है। मैं सब चीजों को पढ़ करके नहीं बताना चाहता क्योंकि यह फिर से रिकार्ड का हिस्सा बनेगी। अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री है जो व्यवस्था को तहत-नहस करके चल रहा है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

28.11.2025.1205.डी0टी0-डी0सी0.-1
श्री जय राम ठाकुर जारी....

मैं यह सारी पढ़कर नहीं सुनाना चाहा रहा हूं क्योंकि यह फिर से रिकार्ड का हिस्सा बन जायेंगी। मैं वर्तमान सरकार में देख रहा हूं कि एक मंत्री हैं जो सारी व्यवस्था को तहस-नहस करके चल रहे हैं। सरकार का सारा सिस्टम, सरकार का सारा कामकाज इस प्रकार से अपने काम करने के तरीके से हालात पैदा कर देते हैं कि सारी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है, संकट में आ जाती है। आज भी अगर इस सदन के भीतर ऐसे हालात बने हैं तो इसके लिए जिम्मेवार और कोई नहीं एक व्यक्ति है। क्या मुख्य मंत्री जी की आज ऐसी स्थिति है कि वे उस मंत्री से कुछ कहने या पूछने की स्थिति में नहीं रहे, उन्हें टोकने की स्थिति में नहीं रहे। ठीक है लोकतंत्र ने उनको भी अधिकार दिया है कि वे अपनी बात कह सकते हैं लेकिन अपनी बात कहते हुए उन्हें कुछ तो संयम रखना पड़ेगा, कुछ तो सब्र रखना पड़ेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं ज्यादा लम्बी बात न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें। जो पिछले कल इस माननीय सदन में माननीय राजस्व मंत्री द्वारा बाते कहीं गई हैं वे रिकार्ड से तुरंत प्रभाव से निकाली जाएं। वह रिकार्ड का हिस्सा नहीं बननी चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहा रहा हूं कि जब इनके पास तथ्य नहीं हैं फिर भी वे ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे हालात में उनको माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वर्ष 1925 में बनने के बाद निरंतर देश हित में काम कर रहा है। इस संगठन का देश और समाज की सेवा में बहुत बड़ा योगदान है। हम ऐसी सभी बातों पर चर्चा करेंगे तो ये बहुत लम्बा विषय हो जायेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन बिना तथ्य के इस तरह के गंभीर आरोप लगाने की जो हिम्मत माननीय राजस्व मंत्री ने की है उनको अपनी कही बातों के लिए इस सदन में माफी मांगनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें आपकी व्यवस्था चाहिए। क्योंकि पैंशनर्ज धरने पर बैठे हैं, सरकार के विरूद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भी कोई जेनुइन मांग थी । उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर हमने उनसे कहा कि हम आपकी मांगों का समर्थन करते हैं। हमने अपने विधायक दल की ओर से एक छोटा धरना प्रदर्शन इस विधान सभा परिसर में किया। लेकिन इस परिसर में सत्ता पक्ष के विधायक ही नही अपितु उनके मंत्री हाथों में प्ले कार्डज लेकर वहीं आते हैं जहां धरने हम बैठे थे उस स्थान में आ गये। उस समय मैं मीडिया को बाइट दे रहा था और सत्ता पक्ष के लोग वहां नारे लगाते-लगाते आ गये और हमार

28.11.2025.1205.डी0टी0-डी0सी0.-2

प्रदर्शन को डिसरप्ट करने की कोशिश की। वहां पर कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बन सकती थी। उसे लीड करने वाले भी राजस्व मंत्री ही थे। अध्यक्ष महोदय क्या ऐसी स्थिति बन गई कि वह व्यक्ति न तो तो आपके नियंत्रण में रहा और न ही माननीय मुख्य के नियंत्रण में रहा। ...(व्यवधान)

Speaker : Revenue Minister I will give you chance but let him complete.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोग विधान सभा परिसर के अंदर धरना देने के लिए जा रहे हैं। अगर इन्होंने धरना ही देना तो इनको आप कोई और जगह चिन्हित कर दीजिए। लेकिन जहां हम लोग बैठे हैं क्या सत्ता पक्ष को भी वहां पर धरना देने आना चाहिए? इतनी तो कॉमन सेंस इनमें होनी चाहिए।

Speaker : Hon'ble Leader of the Oppositon your concern has come.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को इतनी भी आजादी मत दीजिए, उनको इतना भी सर पर मत चढ़ाइये- मैं ये शब्द कहूंगा। इनमें थोड़ा नियंत्रण रखिये यह मेरा आपसे निवेदन है और जो भी राजस्व मंत्री द्वारा कल बोला गया है उसे कार्यवाही से निकाला जाए। श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने कुछ शब्दों का जिक्र किया आपने उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया। लेकिन ये शब्द कार्यवाही का हिस्सा है जोकि नहीं होने चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसपर तुरंत कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत सारी बातें कही हैं लेकिन सारी बातें इस तरह से नहीं है। यह ठीक है कि कल नियम-67 के तहत चर्चा हुई और उसमें कुछ बातें आपकी तरफ से गलत आई जोकि नहीं आनी चाहिए थी और कुछ हमारी तरफ से भी बातें आई।

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

28.11.2025/1210/डी.सी.-एन.जी./1

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री)........जारी

कुछ बातें आपकी तरफ (विपक्ष) से भी गलत आई और कुछ हमारी (सत्तापक्ष) तरफ से भी आई। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय राजस्व मंत्री ने किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ नहीं कहा है। आपका संगठन आर0एस0एस0 है और बी0जे0पी0 आपकी राजनीतिक पार्टी है तो आप सब भी कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सदन के अंदर व बाहर आलोचना करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ी है और आप लोग कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या-क्या टिप्पणियां करते हैं, वह हम सब को मालूम है। हम तो आपकी बातों का कभी भी एतराज नहीं करते हैं क्योंकि बोलना आपका अधिकार है। माननीय राजस्व मंत्री ने आर0एस0एस0 के बारे में कुछ कहा है तो वह आपकी नज़र में ठीक नहीं हो सकता। इतिहास के दो पार्ट होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। हम (सत्तापक्ष) आपके (विपक्ष) संगठन की तारीफ कभी भी नहीं करेंगे और आप भी हमारे संगठन, पार्टी व नेतृत्व की कभी तारीफ नहीं करते। इस माननीय सदन में तर्क-वितर्क चलते रहते हैं। हम सभी राजनीतिक लोग हैं और हमने राजनीतिक आधार पर अपना-अपना पोलिटिकल स्कोर सैट करना होता है। उसके लिए आप भी कोई कसर नहीं छोड़ते और हम भी नहीं छोड़ते हैं। माननीय श्री जय राम ठाकुर को इन सब बातों को पर्सनल नहीं लेना चाहिए क्योंकि राजस्व मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहा है। किसी संगठन ने क्या किया और क्या नहीं किया, वे सब अलग बातें हैं। माननीय सदस्य, श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने पिछले कल प्यार-प्यार से बहुत कुछ कह दिया था।...(व्यवधान) ठीक है, निकाल दिया है लेकिन वह सोशल मीडिया पर तो चला गया है। किसी व्यक्ति के परिवार में क्या-क्या घटना हो रही है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के किसी भी विधायक ने माननीय सदन के अंदर व बाहर कुछ नहीं बोला है। आज के समय में कौन-सा परिवार ऐसा है जिसमें झगड़े नहीं होते?

28.11.2025/1210/डी.सी.-एन.जी./2

हम सभी राजनीतिक लोग हैं और यदि हम सभी माननीय सदन के अंदर आपस में ही एक-दूसरे के कपड़े उतारेंगे तो यह हमारी बदकिस्मती है। Any class of the society whether they are bureaucrats, whether business society य किसान-बागवान आदि सभी अपनी-अपनी कम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। एक हमारी पोलिटिकली कम्यूनिटी ही ऐसी है जो राजनीतिक आधार पर एक-दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी को इन चीजों से बचना चाहिए। माननीय श्री जय राम ठाकुर ने कहा है और मैं भी चाहता हूं कि यदि कोई ऐसे शब्द जोकि असंसदीय हैं और जिन पर विपक्ष को एतराज़ है तो अध्यक्ष महोदय, आप उन्हें सदन की कार्यवाही से बाहर निकाल दीजिए। इसके अलावा माननीय सदस्य, श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने भी कुछ असंसदीय बातें कही हैं और मेरा आग्रह है कि वे भी सदन की कार्यवाही से बाहर निकाल दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय, ये सब बातें तर्क-वितर्क के तहत कही गई हैं और फिर भी आपके जो भी आदेश होंगे, वे हम सभी को मान्य हैं। धन्यवाद।

28.11.2025/1210/डी.सी.-एन.जी./3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार, आप बोलिए।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पिछले कल माननीय राजस्व मंत्री द्वारा जो टिप्पणियां की गई हैं, उन पर आपत्ति दर्ज की है और वे बातें दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं। वह संस्था (आर0एस0एस0) प्रत्यक्ष रूप से यहां पर नहीं है परन्तु हम सभी (विपक्ष) उस संस्था के स्वयंसेवक हैं।...(व्यवधान) चौधरी साहब (माननीय कृषि

मंत्री), आप सुन लीजिए और आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।...(व्यवधान) हम अंदर भी स्वयंसेवक हैं।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनकी मंशा ही स्पष्ट नहीं है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम एक विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वह विचारधारा पूरे देश में इन लोगों (सत्तापक्ष) के लिए उत्तेजना पैदा करने का एक माध्यम हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाए।...(व्यवधान)

Speaker : Hon'ble Members(both sides) order in the House. कृपया बैठे-बैठे मत बोलिए।...(व्यवधान) I have permitted only Hon'ble Member Shri Vipin Singh Parmar to speak. ...(Interruption). Order in the House please.

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, हमारी एक पद्धति है और उस पद्धति में रह करके हम चलते व आगे बढ़ते हैं। वह राजनीति की सीढ़ी चढ़ने का कोई माध्यम नहीं है। करोड़ों-करोड़ों स्वयंसेवक समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।...(व्यवधान) राजनीतिक क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

28.11.2025/1215/पी0बी0/एच0के0-1

श्री विपिन सिंह परमार...जारी

...(व्यवधान) अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी है तो आप सदन से बाहर जा सकते हैं। ...(व्यवधान) (***)

Speaker : Please address to the Chair. ...(Interruption) Please no personal aspersions. That is not a part of the record. No personal aspersions. Whatever have ...(Interruption). जो आप बोल रहे हैं उसके अलावा रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं जा

रहा है। आप सत्ता पक्ष की बातों की तरफ ध्यान न दें, कृपया केवल मेरी तरफ ही ध्यान दें। जब आप सत्ता पक्ष को सुनाना शुरू करते हैं तभी यह स्थिति पैदा होती है।

श्री विपिन सिंह परमारः अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ समाज को मज़बूत बनाने के लिए काम करता है...(व्यवधान) देशभक्ति और सेवा की भावना से काम करता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री चन्द्र कुमार जी कृपया बैठे-बैठे न बोलें। ...(व्यवधान)

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, जब व्यक्ति शाखा में जाता है ...(व्यवधान) तो वहां व्यक्ति मानसिक और शारिरिक रूप से मज़बूत बनाने की प्रक्रिया से गुज़रता है। अब बिचारे (कृषि मंत्री जी की ओर देखते हुए) उम्रदराज हो गए हैं।(***)...(व्यवधान)

अध्यक्ष : परमार जी, उनका ब्यान ही रिकॉर्ड पर नहीं है। आप ऐसे ही इन्हें बीच में ला रहे हो।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, सदन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में कहा गया कि इनकी टोपी, कपड़े, जूते, जुराबें कैसे हैं? यह हमारा गणवेश है। यहां तक कि संघ को फ़ासिस्ट के साथ जोड़ा गया। जैसी व्यक्ति की सोच होती है वैसी ही उस व्यक्ति के मुखारविंद से उस प्रकार के शब्द निकलते हैं। ...(व्यवधान) जब हम भारतीय जनता

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

28.11.2025/1215/पी0बी0/एच0के0-2

पार्टी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से आए हैं...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं वैचारिक पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष : परमार जी, आपकी बात रिकॉर्ड में आ गई है।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, हमें इस गणवेश पर गर्व है और यह गणवेश हमारा तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक पहनावा है जिसके अधिकार से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : परमार जी, आप मुझसे क्या चाह रहे हैं , आप वह बताइए।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष कह रहा है कि संघ ने मुस्लिम लीग के साथ कई प्रदेशों में सरकार बनाई।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : परमार जी, आपकी सारी बातें रिकॉर्ड में आ गई हैं लेकिन आप मुझसे क्या चाहते है, वह बताइए।...(व्यवधान)

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह चाहता हूं कि संघ के लिए कहे गए इन तमाम शब्दों को एक्सपंज किया जाए और इसके लिए मंत्री जी सदन में माफी मांगें। ...(व्यवधान) ये वीर सावरकार के बारे में क्या कह रहे थे। ...(व्यवधान) इन्हें क्या लगता है, यह एक कुंए के मेंढक बने हुए हैं।...(व्यवधान)

Speaker : Let's not make it a debate.

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, वीर सावरकर जी को अंग्रेज़ी हुकूमत ने अंडमान में कई वर्षों तक काल कोठरी में रखा। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनके नाम पर सत्ता पक्ष राजनीति करता है इस देश की आज़ादी में उन्होंने पीठ पर कभी एक कोड़ा नहीं खाया। ...(व्यवधान) इस देश में सुभाष चंद्र बोस, ...(व्यवधान) वीर सावरकर, ...(व्यवधान) खुदीराम बोस जैसे योद्धाओं ने बलिदान दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : परमार जी, आपका कंसर्न आ गया है। ...(व्यवधान) आपकी बात आ गई है। ...(व्यवधान) आपने तो स्वतंत्रा संग्राम पर चर्चा करना शुरू कर दिया।...(व्यवधान)

28.11.2025/1215/पी0बी0/एच0के0-3

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष को क्या मिर्चें लगी हुई है? ...(व्यवधान) वर्ष 2027 में मिर्चें आ जाएंगी।...(व्यवधान) आप हमारी बात सुनिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : परमार साहब, जब आप सत्ता पक्ष की तरफ देखकर बोलेंगे तो स्वभाविकरूप से उसका रिएक्शन आएगा। आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन में जो इस प्रकार की सनसनीखेज बातें कही जा रही हैं उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक मंत्री को इस तरीके से सिर पर मत बिठाइए। एक व्यक्ति के कारण आपकी और आपकी पार्टी की छवी धूमिल हो रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : परमार साहब, आपका कंसर्न आ गया है।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कभी सदन में सत्ता पक्ष तिरंगे की बात करता है जैसे कि तिरंगा केवल इन्होंने ही उठाया है। हम इस देश में तिरंगे का मान-सम्मान करते हैं। परंतु तिरंगा और वंदे मातरम्

श्री ए0पी0 द्वारा जारी........

28.11.2025/1220/H.K./A.P./01

श्री विपिन सिंह परमार जारी.....

इनकी पार्टी के उस समय के नेताओं ने ...(व्यवधान) और यहां पर कहा कि विभाजन के लिए सहमति...(व्यवधान)

Speaker : We are not discussing the independency. This will not be the part of the record. ...(Interruption)

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के नेताओं और मुस्लिम लीग के नेताओं की सहमति से विभाजन प्रक्रिया हुई थी। ...(व्यवधान)

Speaker : That will not be the part of the record. I will not permit. ऐसा है कि अब आप आजादी की लड़ाई के ऊपर बोलने लगे हो।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में ऐसे लोगों का भी योगदान रहा है और हम तिरंगे का सम्मान आज से नहीं, बल्कि आज़ादी के समय से करते आए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गणवेश पर कोई भी सनसनीखेज बात करना और हमारे बारे में विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां करना, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चलाना - इस प्रकार की टिप्पणियां हमें और समाज को आहत करती हैं। इस समय हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम भी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप फिर उकसाने वाली बातें कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी उम्र का आदर करता(***)

अध्यक्ष : (***)...(व्यवधान) This will not be part of the record. ...(Interruption) Please, Please. ...(Interruption) Personal accusation will not be part of the record without any reference, because this is not as per the reference. जो आप बोल रहे हो वह रिकार्ड का पार्ट नहीं है। आप इनकी तरफ ध्यान न दें। I am not permitting anybody. ...(Interruption) That is not part of the record.

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

28.11.2025/1220/H.K./A.P./02

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, शुरू में कहा गया था कि सदन में विचारधारा पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन पक्ष के साथियों द्वारा की गई।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप बैठ जाए। ...(व्यवधान) माननीय श्री जय राम जी ने बोल दिया है। ...(व्यवधान) You have supported the contention raised by the Leader of the Opposition. ...(Interruption). I will take decision.

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि उन सभी शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाए। ...(व्यवधान) और ये माफी मांगे। अभी जो मैं बोल रहा हूं उस पर विपक्ष के नेता द्वारा सहमति दी है और हम मर्यादा में रह कर ही बात करते हैं। ...(व्यवधान) कभी समय दीजिए हम भी इनके बारे में बहुत कुछ बताएगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका, धन्यवाद।

अध्यक्ष : ...(व्यवधान) ऐसा है कि यह जो इंटरवेंशन थी वह Point of Order के अंतर्गत भी नहीं आती है। माननीय नेता प्रतिपक्ष और पूरे विपक्ष का कन्सर्न था जिसे मैंने सदन में रखने की इज्जात दी। यह कोई डिवेट का प्वाईंट नहीं है। इन्होंने जो भी बातें मेरे ध्यान में लाई हैं ...(व्यवधान) मैं कहा इन्कार कर रहा हूं, मुझे कम्पलीट करने दो। मुझे सुन तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

28.11.2025/1225/AT/YK.01

अध्यक्ष जारी...

अब इस पर ही डिबेट अगर चलती रहेगी तो अगला बिज़नेस भी आज का गया। तो मेरा आग्रह है आप सबसे कि आप इसी पर ...(व्यवधान) 1 मिनट नेगी जी अगर आप ऐसे ही विषयों के ऊपर listen to me. ...(व्यवधान) जो आज का हमारा बिज़नस लिस्टेड है, उसका पार्ट नहीं है, न यह रूल्स में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर में फिट होता है। लेकिन मैंने फिर भी यह होने दिया क्योंकि सारा विपक्ष अपनी बात रखना चाह रहा था और उसके लिए प्रोटेस्ट भी इन्होंने किया जो रिकॉर्ड का हिस्सा तो नहीं है लेकिन मैंने इजाजत दे दी है। और वहां से हर्षवर्धन चौहान जी ने भी बोल दिया है जो कुछ बोलना था। इसलिए अब इस बात को खत्म करते हैं और आगे चलते हैं। और मैं अपनी रूलिंग दे देता हूं और उसके बाद हाउस को चलने दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब सिटिंगज़ हमने ...(व्यवधान) ऐसे तो फिर आप बोलते रहोगे इधर से भी, उधर से भी फिर तो काम होगा नहीं। फिर तो

काम नहीं होगा? या फिर आप बोलोगे, फिर यहाँ गर्मी होगी, फिर इधर से बोलेंगे, फिर उधर से बोलेंगे। तो मेरा आग्रह है आप सबसे, मेरी प्रार्थना है आप सब से अगर आप चाहते हैं कि आज की प्रोसीडिंग्स जो हैं, उसके ऊपर हम आगे बढ़ें तो अब जो यहाँ से कंसर्न आ गया, इन्होंने, श्री हर्षवर्धन चौहान माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ने बोल दिया। और मैं अपनी व्यवस्था दे देता हूं और उसके बाद आगे चलते हैं ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री, आप बोलना चाहते हैं या माननीय मंत्री जी आप बोलना चाहते हैं? ...(व्यवधान) नेगी जी, ऐसा कुछ नहीं है इन्होंने आपके खिलाफ तो कोई ऐसा बोला नहीं। उन्होंने पिछले कल का रेफरेंस दिया है ...(व्यवधान) उन्होंने पिछले कल का रेफरेंस दिया है। अब मुख्य मंत्री जी को सुन लेते हैं। अगर फिर भी कोई बात होगी तो आप बोल देना। मुख्य मंत्री जी को सुन लेते हैं क्योंकि he is the Leader of the House. तो वहां से मैं Leader of the Opposition को इजाजत दी, यहां से Leader of the House ...(व्यवधान) नेगी जी,1 मिनट बैठो तो सही। ऐसा है पिछले दो दिनों से...(व्यवधान) परमार साहब प्लीज़, परमार साहब प्लीज़...(व्यवधान) पिछले कल, दो दिनों से मैं बार-बार सभी से आग्रह कर रहा हूं सत्ता पक्ष से भी, विपक्ष से भी—कि इश्यू था पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव। इश्यू के बाहर जाकर दोनों ही दलों के मान्य सदस्यों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। Passing reference तो मैं मान सकता हूं, लेकिन out

28.11.2025/1225/AT/YK.02

of context बहुत बोला गया रिकॉर्ड के ऊपर जो इश्यू का पार्ट नहीं था। मैंने बार-बार सचेत किया सभी माननीय सदस्यों को कि आप इश्यू पर केंद्र करें। कल माननीय नेगी जी को भी मैंने कहा that is on the record. जो मुझे कल भी अवांछनीय लगा, क्योंकि मैंने पहले व्यवस्था देखी रखी है कि जो भी अवांछनीय होगा, that will not be a part of the record. So we removed certain lines from both sides. यहां से भी remove की हैं, वहां से भी remove की हैं, मैंने की हैं... (व्यवधान) इससे अगली बात जो आप कह रहे हैं, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, अब आप चले जाते हैं, तो अध्यक्ष की ड्यूटी थोड़ी है कि आपका काम भी अध्यक्ष करें?

अगर यह कल बोल रहे थे कुछ और वह आपको पीड़ा कर रहा था, तो it was your duty कि आप कल ही यह बोलने की कि यह क्या बोल रहे हैं, यह पंचायती राज संस्थाओं पर तो नहीं बोल रहे हैं। मैं तो रोक नहीं सकता everybody has a right to speak. जब आप ऑब्जेक्ट करेंगे तो certainly then I will intervene. जब आपने बोला नहीं और मुझे लगा कि he made certain references regarding the judges also which I have removed from the record. इन्होंने एक sweeping statement दी है, उसको मैंने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने दिया। वैसे ही सत्ती जी ने भी personal accusation कुछ की है, उसको भी मैंने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने दिया। मैं अभी भी आपसे आग्रह कर रहा हूं I am very fair to all whether the Ruling side or the Opposition. I wants the proceedings to be continued. इसलिए मैं यह समझता हूं कि अभी यह माफी मांगना फिर आपस में टकराव की बात होगी। कृपया करके सदन की कार्यवाही चलने दो। जो भी अवांछनीय होगा जो आपने कहा है वह मैं देखूंगा। दोबारा से सारा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा

एम0डी0 द्वारा जारी .....

28-11-2025/1230/YK/MD/1

अध्यक्ष------जारी

कृपया करके सदन की प्रोसिडिंग्ज को चलने दीजिए। इसमें जो भी अनडिजायरेबल होगा जोकि आपने कहा है, वह मैं दोबारा से देखूंगा और मुझे अब सारा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। जो रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पर चला गया है, उसको मैं देखूंगा। यह जो सारे रिकॉर्ड का हिस्सा है जोकि अनडिजायरेबल है, जो इश्यू से मुतलिक नहीं है। जिसका रैंफरेंस नहीं आना चाहिए क्योंकि बजट स्पीच के ऊपर ये सारी बातें बोली जा सकती हैं पर स्पैस्फिक इश्यू पर जब आप बात करें तो आइडियोलॉजी डिस्कस नहीं होती। मैं मानता हूं इस बात को क्योंकि वह इश्यू स्पैस्फिक है। आइडियोलॉजी की बात तब होती है जब सरकार बजट रखती है और जब बजट के ऊपर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, तब आप ये सारी चीजें बोल सकते हैं। Otherwise in all the issues you have a very selective

viewpoints regarding that issue only तो वह पार्ट मैं रिकॉर्ड से निकाल दूंगा। I assure all the Hon'ble Members. माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूं क्योंकि अब order in the House to be maintained and you being the Leader of the House and here is the Leader of the Opposition, I am requesting you both because both of you are responsible for the Order in the House. It is my duty to enforce it. Please I request you so that the House comes in order.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने हमेशा ही सदन की गरिमा को बनाए रखा है। लेकिन विपक्ष के सदस्य 11:03 बजे प्रश्नकाल शुरू होते ही बीच में खड़े होकर जब मन होता है, प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं। फिर भी आप उन्हें अकॉमोडेट करते हैं। परंतु यह एक प्रक्रिया ही बन गई है। राजस्व मंत्री के प्रति इनकी दुर्भावना यह बन गई है कि वे जब भी बोलते हैं तो फिर ये बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद भी जब वे बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। मेरा मानना है कि कई बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कुछ ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं जो व्यक्तिगत तौर पर चुभने वाली होती हैं। आपकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्या-क्या चल रहा है? व्यक्तिगत टिप्पणियों से हमने परहेज किया। कल राजस्व मंत्री जी के बारे में भी व्यक्तिगत टिप्पणी की गई और आपने उसे एक्सपंज किया? हम यह चाहते हैं कि आपसी सामंजस्य के साथ सदन चले। हर बात को व्यक्तिगत रूप में नहीं लेना चाहिए। कई बार भावनात्मक स्थिति में कुछ शब्द निकल

28-11-2025/1230/YK/MD/2

जाते हैं, जैसे अभी श्री विपिन सिंह परमार जी ने कहा कि हम तिरंगे का अपमान करते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा ने इतिहास रचा है। जिस तिरंगे के लिए देश के दो-दो प्रधानमंत्रियों श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जी ने बलिदान दिया है, वे लोग तिरंगे का अपमान करेंगे? मां ने भी इस देश की एकता और खंडता के लिए बलिदान दिया और बेटे ने भी इस देश की एकता और खंडता के लिए बलिदान दिया। वे तिरंगे का अपमान करेंगे? ऐसी चीजें कहकर ये राष्ट्र को भी नुकसान पहुंचाते है क्योंकि राष्ट्र की

विचारधारा का जो स्वरूप और अस्तित्व बनाया गया वह कांग्रेस पार्टी के उस समय के पंडित जवाहर लाल नेहरू और डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं की सोच से बनाया गया। आज उसी विचारधारा के कारण श्री नरेंद्र मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं और हमने कभी लोकतंत्र को कमजोर करने की बात नहीं की है। कई बार पासिंग रिमार्क्स में कुछ बोला भी जाता है और हमने तो यह कभी नहीं कहा कि इसके घर में यह चल रहा या उसके घर में यह चल रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि आप खुद इस मामले में अच्छे जानकार और विधि के ज्ञाता है। आपको अगर कोई ऐसे असंसदीय शब्द लगते हैं तो आप उनको एक्सपंज कर दीजिए। हमारे सदस्यों पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणियां चाहे वह माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी द्वारा पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के साले और राजस्व मंत्री जी के परिवार के प्रति की गई हो या फिर किसी और पर की गई हो। इस प्रकार के रिमार्क्स आगे न किए जाए तभी हमारा और आपका सामंजस्य आगे बढ़ेगा। वरना हम चाहते तो यह चीज और भी हो सकती थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपका जो धरना था जोकि श्री जय राम ठाकुर जी कह रहे थे कि मंत्री जी, इस धरने के बारे में कल सी0एल0पी0 में फैसला लिया गया था, और हम सबको वहां बैठने का अधिकार है। यह हमारा हक है। ये वहां से उठकर चले गए थे लेकिन वह हमारा अधिकार बनता था। हम कोई सक्फल करने नहीं आए थे। हम भी उसी आवाज को उठाने आए हैं, ...(व्यवधान) आपने खुद कहा कि मैं प्रैस में स्टेटमैंट दे रहा था तब आए और मुख्य मंत्री व मंत्री ही लीड करते हैं। विधायक दल में कोई और थोड़ी लीड करेगा। जब इन सब चीजों के लिए डिसिजन किया जाता है तो इस विषय में सदन के अंदर कहना उचित नहीं है। ठीक है आप धरने पर बैठे हैं अगली बार हम भी धरने पर बैठ रहे हैं क्योंकि हमारी भी मांगे जैसे 1500 करोड़ रुपये पता नहीं कब आएंगे। अभी हमने थोड़ी कहा था, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए। **श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी**---

28.11.2025/1235/केएस/एजी/1

मुख्य मंत्री जारी ---

क्योंकि हमारी भी मांग है, 1500 करोड़ रुपये पता नहीं कब आएंगे? हमने थोड़ी कहा था। इन सभी चीजों का आप ध्यान रखिए। हम चाहते हैं कि हाउस चले लेकिन कुछेक चीजें हैं,

हाउस यह नहीं है कि हम आपको यह बोले कि अभी हमारे प्रश्न पूछो या अभी यह बात करो। यह बात सहन नहीं होगी क्योंकि सदन सहमति से चलना चाहिए और हमसे ज्यादा तो आप लास्ट में टाइम बताते हैं कि इतने मिनट इनको दे दिए। अभी हमारे विधायक चंद्र कुमार जी तथा नेगी जी भी बोलना चाह रहे थे लेकिन सदन की मर्यादा को देखते हुए हम चाहते हैं कि आप जो भी फैसला करते हैं उसमें थोड़ा सा सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रिगण का भी ख्याल रखें, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : वैसे तो मैंने पहले भी कहा है कि रिकॉर्ड में जो मुद्दे से अलग बातें होंगी, मैं रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से देखूंगा, peruse करुंगा और उसके रेफरेंस में नहीं होंगी, पासिंग रेफरेंस में भी नहीं होंगी तो that will not be a part of the record and I am again reiterating it कि मैं दोबारा से सारा रिकॉर्ड देखूंगा। दूसरा, एक और विषय जिसके बारे में आदरणीय जय राम जी ने भी कहा कि विधान सभा परिसर के अंदर जो प्रोटैस्ट है, Vidhan Sabha Secretariat is the custodian of the precinct also and the Vidhan Sabha also. हमें इसका कोई नोटिस नहीं आता। माननीय सदस्य अपने चैम्बर से विरोध प्रदर्शन करना शुरू करते हैं और यहां गेट तक पहुंचते हैं। गेट के अंदर के नियम अलग हैं। वहां तक हम इजाज़त दे देते हैं लेकिन हमारे तो नोटिस में ही नहीं होता। इसलिए अब यह व्यवस्था है कि अगर दोनों दलों ने सेम डे, सेम टाइम प्रदर्शन करना है तो the Vidhan Sabha Secretariat should be informed about the timings and the date about the protest which is to be done by both the Parties. Once you give us the notice of protect, we will decide कि कितने मिनट तक कौन कहां बैठेगा। This is what I want to request ताकि यह कान्फ्रन्टेशन न हो। जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रोटैस्ट हो रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी भी प्रोटैस्ट करेगी तो नैचुरली वहां पर कानून व्यवस्था की परिस्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए you please inform from today onwards the Vidhan Sbaha Secretariat, we will give you the permission to sit for 10-15 minutes outside Gate No. 3. जब एक पार्टी का प्रोटैस्ट खत्म हो जाएगा तो हम उसके

28.11.2025/1235/केएस/एजी/2

बाद दूसरी पार्टी को समय देंगे। दोनों पार्टियों को बराबर समय देंगे। Thank you very much. Now we proceed with the today's Business.

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 14 के साथ पठित धारा-15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 2025 जोकि अधिसूचना संख्याः जी.ए.डी.-सी-डी(6)-6/2025, दिनांक 17.11.2025 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.11.2025 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय कृषि मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

कृषि मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, वृत्त मुख्य प्रारूपकार, (ग्रुप-बी) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025 जोकि अधिसूचना संख्याः एग्र.ए-ए(3)-2/2022, दिनांक 01.05.2025 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.05.2025 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय आयुष मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

आयुष मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-6 की उप धारा (1) और (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

28.11.2025/1235/केएस/एजी/3

सदन की समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री राकेश कालिया, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2025-26), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2025-26), का 13वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि पुलिस विभाग के 18वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा गृह विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री अनिल शर्मा कार्य-सलाहकार समिति का 14वां प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में प्रस्तुत करेंगे और प्रस्ताव भी करेंगे कि उसे अंगीकार किया जाए।

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति का 14वां प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूं और प्रस्ताव भी करता हूं कि इसे अंगीकार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

(प्रस्ताव स्वीकार)

प्रतिवेदन अंगीकार हुआ।

28.11.2025/1235/केएस/एजी/4

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

अध्यक्ष : आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। अब माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। इसी विषय पर माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया का भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वे भी चर्चा में भाग ले सकते हैं

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.11.2025/1240/av/ag/1

अध्यक्ष-------- जारी

और कार्य सलाहकार समिति ने इसके लिए 30 मिनट्स का समय निर्धारित किया है। Rest of the Members those who want to take part in the deliberations/discussions, they can also participate.

अब मैं माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया से अनुरोध करूंगा कि पहले वे अपना संकल्प मूव करें।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "This House should consider to declare Wazir Ram Singh Pathania Ji as one among pioneer Freedom Fighter of war of Independence against the British Raj and recommend to the State and Central Government".

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "This House should consider to declare Wazir Ram Singh Pathania Ji as one among pioneer Freedom Fighter of war of Independence against the British Raj and recommend to the State and Central Government."

अब इस संकल्प पर आगे चर्चा होगी और मुख्य मंत्री जी उसका जवाब देंगे।

श्री केवल सिंह पठानिया जी, आप चर्चा शुरू कीजिए।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम-101 के अंतर्गत वज़ीर राम सिंह पठानिया को स्वतंत्रता सेनानी डिक्लेयर करने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

वज़ीर राम सिंह पठानिया जी का जन्म दिनांक 10 अप्रैल, 1824 को नूरपुर रियासत में हुआ था। उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री श्याम सिंह जोकि राजा वीर सिंह के मंत्री भी रहे। राजा वीर सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र श्री जसवंत सिंह जोकि उनके उत्तराधिकारी भी बने तो उन्होंने श्री राम सिंह पठानिया को अपना वज़ीर नियुक्त किया। सन् 1846 की अंग्रेज-सिख सन्धि के बाद जब अंग्रेजों ने नूरपुर रियासत पर नियंत्रण करने की कोशिश की तो सन् 1846, 1857 और फिर 1888, मैं तो कहूंगा कि आजादी से पहले अगर किसी ने

28.11.2025/1240/av/ag/2

उस हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई तो वे वज़ीर राम सिंह पठानिया जी थे। सन् 1846 और 1947 में पूरे सौ वर्ष का अंतर है यानी जब ब्रिटिश साम्राज्य नूरपुर रियासत पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो उन्होंने उस वक्त अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। मैं उनको शत्-शत् नमन करता हूं क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी उन्होंने छेड़ी थी। वर्तमान में भारतवर्ष एक आजाद देश है। परंतु अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने पहली चिंगारी की शुरुआत की थी तो वे आदरणीय श्री राम सिंह पठानिया जी थे।

उन्होंने कटोच राजपूतों के साथ मिलकर सेना बनाई और अंग्रेजों पर हमला किया, आज उस रियासत का कुछ पार्ट पंजाब राज्य के अंदर है। सन् 1846 में जहां लड़ाई लड़ी गई थी वहां आज एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर है और वह पंजाब राज्य के अंदर पड़ता है। वहां इस तरीके से संरचना की गई कि लगभग 20-22 दिन तक लड़ाई चली। उनके पास सेनानी कम थे और ब्रिटिश साम्राज्य के पास सैनिक तथा असला ज्यादा था। उस समय अंग्रेजों ने हमारे पूरे देश को अपना गुलाम बनाकर रखा था। मैं उनकी बहादुरी की दाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने केवल सैंकड़ों सैनिकों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी।

अध्यक्ष महोदय, पीछे आप भी वज़ीर राम सिंह पठानिया जी की पुण्य तिथि पर गए थे और वहां पर उस समय आदरणीय श्री भवानी सिंह पठानिया भी उपस्थित थे। इतिहास बताता है कि उन्होंने रात को इस तरीके की बाउंडरीज बनाकर रखी थी कि वे सैंकड़ों सैनिक अंग्रेजों के हजारों सैनिकों के जोश को बिल्कुल नाकाम कर देते थे। अंग्रेजों के पास काफी हथियार थे जबकि दूसरी तरफ वज़ीर राम सिंह के सैनिक छोटी-छोटी लकड़ी जलाते थे।

टी सी द्वारा जारी

28.11.2025/1245/टी0सी0वी0/ए0एस0/-1
श्री केवल सिंह पठानिया... जारी

जिससे अंग्रेज सेना घबरा जाती थी कि वज़ीर राम सिंह पठानिया ने अपनी सेना में हजारों लोग रखे हुए हैं और कई बार अंग्रेजों की सेनाएं वहां से वापस लौट जाती थी,यह इतिहास बताता है।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं यह संकल्प लेकर आया हूं। इसके बाद जसवंत सिंह राम सिंह वजीर के पद पर नियुक्त हुए और उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई। वर्ष 1848 में उन्होंने सुनियानी गांव में अंग्रेजों पर हमला किया और उसमें बहुत से

ब्रिटिश सैनिक मारे गए और उनके हथियार भी जब्त किए गए। स्वर्गीय श्री राम सिंह पठानिया भारत के एक योद्धा थे। यह चौदहवीं विधान सभा है। पिछली बार मैं इस विषय को जीरो ऑवर में लेकर आया था और इस बार इसको एक संकल्प के रूप में माननीय सदन में लेकर आया हूं। स्वतंत्रता सेनानी की हमारे कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग में सूची है। मैं चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के जिन स्वतंत्रता सेनानियों को हिमाचल प्रदेश और केन्द्र सरकार द्वारा मान-सम्मान दिया गया है उनका नाम स्वर्गीय राम सिंह पठानिया जी सहित उस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए।

दूसरा मैं चाहता हूं कि यह सदन केंद्र सरकार को एक रेज्योल्यूशन मूव करें कि स्वर्गीय राम सिंह पठानिया को फ्रीडम फाइटर डिक्लेअर किया जाए क्योंकि उनकी बहादुरी के किस्से आज भी इतिहास में दर्ज हैं।

वर्ष 1847 में जब वे एक मंदिर में पूजा कर रहे थे तो उस दौरान अंग्रेजी सेना धोखे से उन्हें उठाकर ले गई और उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई जिसका उल्लेख हम आज भी करते हैं। आजादी से पहले काला पानी जेल में अगर कोई सच्चा हिंदुस्तानी और सच्चा स्वतंत्रता सेनानी गया तो वह स्वर्गीय राम सिंह पठानिया जी थे। काला पानी की बात बहुत पुराने समय से दादा-परदादा, केंद्र और प्रदेश की सरकारें करती आईं हैं। उस काला पानी का रेफरेंस अगर इस धरती पर दर्ज है तो हिन्दुस्तान की आजादी के लिए सबसे पहले उस शब्द का प्रयोग स्वर्गीय राम सिंह पठानिया के खिलाफ हुआ है। यही नहीं, इतिहास बताता है कि वे पहले हिंदुस्तानी थे जिसे समुद्र के जरिए लंदन पहुंचाया गया और वहां डे-टू-डे हियरिंग हुई। आज रंगून का जो रेफरेंस आता है वह पहली बार

28.11.2025/1245/टी0सी0वी0/ए0एस0/-2

स्वर्गीय राम सिंह पठानिया के साथ जुड़ा हुआ है। वर्ष 1847 में उनको धोखे से पूजा से उठाकर ले जाना और काला पानी व रंगून भेजना यह सब इतिहास में दर्ज है। पहली बार केज अगर किसी हिंदुस्तानी के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य ने इस्तेमाल की तो वह स्वर्गीय राम सिंह पठानिया के खिलाफ की गई। यह भी बताया जाता है कि जिस तरीके की यातनाएं ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको दीं वे अत्यंत क्रूर थीं। पिछली बार मैंने और आदरणीय

श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने जीरो ऑवर में यह मसला उठाया था। यह 14वीं विधान सभा है और इसमें मैं जो संकल्प लेकर आया हूं वह दो ही केंद्र बिंदुओं पर आधारित है।

एन0एस0 द्वारा जारी .....

28-11-2025/1250/NS-AS/1

श्री केवल सिंह पठानिया-----जारी

पहला जो हमारा भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग है वह इनके नाम को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रिकॉगनाइज करे। दूसरा, एक रेजोल्यूशन केंद्र सरकार को मूव किया जाए कि हिंदुस्तान की आजादी में वजीर राम सिंह पठानिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं यही चाहता हूं कि उनका नाम इतिहास की पुस्तकों में दर्ज होना चाहिए। अगर इतिहास में जाकर देखें और कला-संस्कृति की बात करें तो पहली बार कला एवं संस्कृति क्या होती है, इसी स्वतंत्रता सेनानी ने सिखाई। इस बात का Department of Information and Public Relations को भी पता है। कांगड़ा और चम्बा में नूरपुर बड़ी रियासत थी। वर्ष 1846 से 1869 और आजादी से पहले लोग नूरपुर में इस गाथा को गाया करते थे कि 'खूब लड़या, खूब लड़या अकेला पठानिया खूब लड़या'। यह इतिहास है और अभी का नहीं है, हजारों वर्ष पहले का इतिहास है। वे किसके लिए लड़े? वे अपनी रियासत और अपने देश के लिए लड़े। हमने नियम-101 के अंतर्गत यह प्रस्ताव लाया है और मैंने इस विषय के बारे में विस्तार से बोला है।

अध्यक्ष महोदय, आपने बोलना का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष : इसके लिए 30 मिनट का समय है और अब श्री भवानी सिंह पठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे। Please try to be very brief.

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प मैं और श्री केवल सिंह पठानिया जी लेकर आए हैं। "This House should consider to declare Wazir Ram Singh

Pathania Ji as one among pioneer Freedom Fighter of war of Independence against the British Raj and recommend to the State and Central Government."

अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के पीछे जो भाव है वह भाव कोई किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष या किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। यह भाव वह भाव है जिस भाव से आपने अगर देखा होगा कि हमारे सामने कई विकट प्रश्न होते हैं जैसे कि लीडरशिप क्या है? जब हम एक डिबेट या डिस्कशन करते हैं कि वीर या शहीद कौन होता है और एक फ्रीडम फाइटर किसको होना चाहिए? एक नेता कौन होना

28-11-2025/1250/NS-AS/2

चाहिए या इंस्पिरेशनल लीडर किसको होना चाहिए? इस प्रकार के प्रश्न जब समाज में आते हैं तो मेरा मानना है कि आज का जो हमारा परिवेश है और जिस वक्त में हम रह रहे हैं तो इस वक्त में हमें न केवल एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है बल्कि हमें सशक्त लोगों की जरूरत है जिनकी गाथाएं पढ़कर व किस्से सुनकर हम बड़े हुए हैं और हमारे अंदर देशभक्ति के भाव जागृत हुए हैं तथा हमारे अंदर समाज के लिए कुछ करने के भाव जागृत हुए हैं। इस सबके लिए अगर आप इतिहास पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वज़ीर राम सिंह पठानिया जी एक ऐसी शख्सियत हुए हैं जिन्होंने मात्र 24 वर्ष की अल्पायु में अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए दे दी। अब देश का स्वरूप उस समय कुछ और था। उस समय देश में आजादी से पहले लगभग 540 छोटे-बड़े राजा थे। उसके बाद हिंदुस्तान बना और रिपब्लिक का जन्म हुआ। उस समय जो रियासत थी वह नूरपुर थी और विदेशी आक्रांता ब्रिटिश था। उस समय वज़ीर राम सिंह जी की आयु लगभग 22 वर्ष थी और उन्होंने उस समय हथियार उठाए। सोचने की बात यह है कि 22 या 24 वर्ष की अल्पायु में अगर आप कुछ करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं या अपने प्राणों की आहुति देने के लिए प्रेरित हो रहे हैं तो वह भाव क्या है, क्या संस्कार हैं और वह आपका क्या पालन-पोषण है जो आपको ये सब करने के लिए फोर्स करता है। इसको समझना जरूरी है। हमारी जो आगे आने वाली नस्ल, पीढ़ी या 'Gen-Z' यानी मोबाइल चलाने वाली पीढ़ी है उनको यह बताना बड़ा जरूरी है कि आज जिस खुली हवा में हम आजादी की सांस ले रहे हैं उसके पीछे के लोग,

उनकी कुर्बानियां व उनकी शहादतें क्या थीं? यह हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस माननीय सदन से एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करें कि जो इन महापुरूषों का राइट फुल ड्यू बनता है उसको हम वापिस दे दें। इतिहास के पन्नों में ये नाम धूमिल होकर गिर गिए हैं। हमारा फर्ज बनता है कि -----

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

28.11.2025/1255/RKS/DC-1

श्री भवानी सिंह पठानिया..... जारी

हमारा यह फर्ज बनता है कि जो इनको इतिहास के धूमिल पन्नों से निकाला गया है उसे पुनः स्मरण कर इनके नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए और इनकी कहानी अपनी आने वाली पीढ़ीयों को बताएं। मैं वजीर राम सिंह पठानिया के साथ-साथ और भी क्रांतिकारियों की बात करूंगा। आप स्वयं विचार करें कि वह कौन-सी प्रेरणा थी जिसने 19 वर्ष की अल्प आयु में खुदीराम बोस को फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार किया। अल्लूरी सीताराम राजू ने 24 वर्ष की उम्र में अपनी शहादत दी। सरदार भगत सिंह मात्र 23 वर्ष की उम्र में फांसी के तख्ते पर झूल गए। करतार सिंह सराभा ने 15-17 वर्ष की अवस्था में अपने प्राणों का बलिदान दिया। कनक लता बरुआ तिरंगा फहराने जा रही थी तभी 17 वर्ष की आयु में अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गई। हेमु कालानी जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध से थे, 19 वर्ष की आयु में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ा दिए गए। वजीर राम सिंह पठानिया ने 22 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध हथियार उठाए। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर पहले कालापानी और फिर रंगून भेज दिया जहां अंग्रेजों की कठोर यातनाओं के कारण 24 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनके योगदान के बारे में मैं अधिक कहूं इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके बारे में इतिहास भली-भांति परिचित है। हम सब जानते हैं कि आजादी से पहले जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने प्राण

न्योछावर किए, 1857 की क्रांति से लेकर मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे आदि का नाम राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित है परंतु इससे 11 वर्ष पहले उसी शत्रु ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध नूरपुर की भूमि पर वजीर राम सिंह पठानिया ने हुंकार भरी थी। यदि उनके साथ विश्वासघात न हुआ होता, यदि भारचंद ने मुखबिरी न की होती तो संभव है कि नूरपुर रियासत का इतिहास कुछ और ही दिशा लेता। मेरा सभी 68 विधायकों से गुजारिश है कि आप इस विषय पर किन्तु-परंतु न करें। आप यह न कहें कि यह तो ठीक है लेकिन इसके साथ यह भी होना चाहिए। यह किन्तु-परंतु करने का विषय नहीं है। हम यहां रेजोल्यूशन पास करने की बात कर रहे हैं और हम यह कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने सन् 1857 से पहले अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान की शहादत दी है वह फ्रीडम फाइटर का दर्जा पाने के लिए डिजर्व करता है। अगर आप सब इसमें हामी भरेंगे तो पूरे प्रदेश की जनता को अच्छा लगेगा। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को वजीर

28.11.2025/1255/RKS/DC-2

राम सिंह पठानिया की गाथा सुनाकर एक सच्चा नागरिक बनने, हिन्दुस्तान की सेवा करने और समाज का भला करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

28.11.2025/1255/RKS/DC-3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह (निक्का) जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रणवीर सिंह (निक्का) : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वजीर राम सिंह पठानिया जी को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले यह प्रस्ताव हमारे बड़े भाई श्री केवल सिंह पठानिया और श्री भवानी सिंह पठानिया जी यहां लेकर आए हैं। वजीर राम सिंह पठानिया जी का जन्म 10 अप्रैल, 1824 को नूरपुर की रियासत में श्याम सिंह पठानिया जी के घर में हुआ था। उन्होंने 1848-49 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

वजीर राम सिंह पठानिया जी नूरपुर से रोज डले की धार मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे और उसी समय अंग्रेजों ने सेंध लगाकर मंदिर में उन्हें गिरफ्तार कर दिया।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

28.11.2025/1300/बी.एस./डी.सी.-1

श्री रणवीर सिंह निक्का जारी...

उस वक्त उनके पास हथियार नहीं थे। एक गड़वा उनके हाथ में था जिसे वे पानी के लिए इस्तेमाल करते थे और उन्होंने उसी गड़वे के साथ ही तीन से चार अंग्रेजों को वहां पर मौत के घार उतार दिया। इस तरह से राम सिंह पठानिया जी ने आजादी की प्रथम लड़ाई की शुरुआत की। ऐसे हमारे वजीर राम सिंह पठानिया थे उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके काला पानी दी गई और उनको रंगून भेज दिया गया। अगर मैं उनकी और यादें सांझा करूं तो जिस तरह बताया गया कि जब अंग्रेज उनको गिरफ्तार करने के लिए गए और घेरा डाल दिया गया। जब वे पूजा के लिए जाते थे तो उनके साथ थोड़ी सी सेना होती थी। रात के समय जिस तरह माननीय सदस्य केवल सिंह पठानिया जी ने बताया कि वे 10-15- 20 जगह लकड़ियों का ढेर लगाकर आग जला देते थे और अंग्रेज समझते थे कि इनके साथ बहुत सी सेना है। इस तरह से उन्होंने कई दिन बिताए। मात्र 24 साल की उम्र में देश सेवा के प्रति देश की आजादी के लिए उन्होंने अपनी जान देश के प्रति कुर्बान कर दी। उनका जन्म नूरपुर में हुआ। अंग्रेजों को दौड़ने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की मगर उनका नाम कहीं भी हिस्ट्री के पन्ने पर नहीं आता। उनकी पुण्यतिथि पर 11 नवंबर के दिन उनकी लोहे की वर्दी को पुष्प अर्पित करके उसकी पूजा अर्चना की जाती है। मैं भी इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उनको प्रथम सेनानी का दर्जा मिले इसके लिए यहां से प्रस्ताव पारित हो और केंद्र से भी उनका नाम जो हिस्ट्री में दर्ज हो। यही मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद जय हिंद, जय भारत।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, संजय रत्न जी चर्चा में भाग लेंगे। इसके बाद दो और बोलने वाले माननीय सदस्य हैं, कृपया दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

28.11.2025/1300/बी.एस./डी.सी.-2

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, आज जो गैर सरकारी दिवस पर माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लेकर इस माननीय सदन में आए हैं। पिछली बार भी शून्य काल में इन्होंने यह विषय उठाया था और आज ये संकल्प लेकर आए हैं, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है और आज अगर हम इस हाउस में खुले मन से विचार प्रकट कर रहे हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष या विपक्ष है, तो यह स्वतंत्रता सेनानियों की ही देन है। अगर देश आज आजाद नहीं होता शायद हमें बोलने की स्वतंत्रता भी नहीं होती और जिस तरीके से यहां पर भी विचारों का आदान-प्रदान हो रहा है, शायद इस प्रकार से नहीं हो पाता। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद करने के लिए अपनी जवानी दी अपना जीवन दिया। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि मैं स्वयं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं। मेरे पिता जी स्वतंत्रता सेनानी रहे, मेरे माता जी स्वतंत्रता सेनानी रही और मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी रहे। तीन-तीन लोगों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और जेल में गए। यहां तक की मेरे पिता जी मुझे बताते थे कि कई बार हमें खाना नहीं मिलता था तो हम पत्ते खाकर भी समय व्यतीत करते थे, अगर खाने के लिए जाएंगे तो पुलिस हमारे पीछे पड़ी होती थी। वर्ष 1940 में ज्वालामुखी में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिस कॉन्फ्रेंस को पहाड़ी बाबा गांधी कांशीराम जी ने भी एड्रेस किया और दीवान मंजू राम गांधी जो फ्रंटियर के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी उसको एड्रेस किया और उससे हमारे प्रदेश में और ज्यादा स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। बहुत से हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने इस देश को

आजाद करने के लिए कुर्बानी दी है। वजीर राम सिंह जी का इतिहास भी किसी से छिपा हुआ नहीं है और ऐसे

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

28.11.2025/1305/डीटी/एचके-1

श्री संजय रत्न जारी....

जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1980 में फ्रांस गई और वहां पर जब एक फंक्शन में वह गई तो वहां कुछ चेयर्स खाली रखी गई थी । उन्होंने प्रश्न किया कि यह चेयर्ज किसके लिए है तो उनको बताया गया कि यह देश की आजादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी है ये उनके लिए है, फ्रीडम फाइटर के लिए है। इंदिरा जी हिंदुस्तान में वापस आई और उन्होंने 1980 में फ्रीडम फाइटर के लिए सम्मान पेंशन योजना हिंदुस्तान में लागू की। उसके तहत फ्रीडम फाइटर्स को गवर्नमेंट आफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हिन्दुस्तान के राष्ट्रपती थे उन्हें भी दर्जा मिला। उसके बाद 1985 में हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश में इस योजना को लागू किया। 1985 से हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का प्रयास किया गया। उनके आशीर्वाद से, सहयोग से मेरे पिताजी को दो बार फ्रीडम फाइटर बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनने अवसर मिला। जी0ए0डी0 के तहत फ्रीडम फाइटर को किस तरीके से डिक्लेअर करते हैं उन सारी चीजों को मोनिटर किया। फ्रीडम फाइटर्स को डिक्लेअर करने के लिए जो जी0ए0डी0 द्वारा पॉलिसी बनाई गई उसमें यह है कि उनके दो साथी उनके फॉर्म को अटैस्ट करें जिन्होंने उनके साथ जेल काटी या उनके साथ वे अंडरग्राउंड रहे तब उनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऐसी ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1980 की पोलिसी है उसमें भी उनके सहयोगियों से सर्टिफिकेट जेल का सर्टिफिकेट लिया जाता है तब उनको फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर किया जाता है। हमारे कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके परिवार इन चीजों को इकट्ठा नहीं कर पाए। हमने बहुत प्रयास किया माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी के चुनाव क्षेत्र में

इंद्रपाल जी हैं। नदौन के चौक पर उनका स्टेच्यू लगा हुआ है। वे हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े रीनाउंड फ्रीडम फाइटर है। लेकिन आज भी उनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा नहीं मिला है। उनका पोता हमारे पास कई बार आया लेकिन उनके सहयोगी आज जिंदा नहीं है। अगर उनके सहयोगी जिंदा नहीं है तो वह सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। जेलों में रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ जेलें पाकिस्तान में चली गई है। मेरे पिताजी भी लाहौर की जेल में रहे लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें उस वक्त बहुत दिक्कत आई। ऐसे हमारे बहुत से फ्रीडम फाइटर है जो रिनाउंड फ्रीडम फाइटर हैं।

28.11.2025/1305/डीटी/एचके-2

जैसे वजीर राम सिंह जी हैं, इंद्रपाल जी हैं, ऐसे और भी हिमाचली में बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर हुए जिनका रिकॉर्ड आज के समय में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। न तो जेल से रिकॉर्ड मिलता है क्योंकि कुछ जेलें पाकिस्तान में चली गई जिन जिलों में वह कैद रहे न उनके सहयोगी जिंदा हैं। आज के समय में फ्रीडम फाइटर तो है नहीं, फ्रीडम फाइटर की पत्नियों भी जिंदा नहीं है क्योंकि फ्रीडम फाइटर की उम्र ही 100 साल से ऊपर हो गई है। इसलिए फ्रीडम फाइटर की डिक्लेरेशन नहीं हो पा रही है। जो केवल सिंह पठानिया जी ने यहां पर संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी रिनाउंड फ्रीडम फाइटर जैस वजीर राम सिंह जी, इंद्रपाल जी हुए हैं जिनकी वजह से देश आजाद हुआ है, जिनकी वजह से हम लोग आज असेंबलीज में बैठकर, पार्लियामेंट में बैठकर कोई मुख्य मंत्री है, मंत्री है कोई प्रधान मंत्री है, कोई राष्ट्रपति है जो इस देश को चला रहे हैं, इस लोकतंत्र को चला रहे हैं लेकिन उनको आज फ्रीडम फाइटर का दर्ज नहीं मिला है, उनके परिवारों को आज रिकॉग्निशन नहीं है। इसलिए इस रेजोल्यूशन को पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाए और प्रदेश सरकार के जी0ए0डी0 विभाग को भी यह निर्देश दिया जाए कि हिमाचल प्रदेश के फ्रीडम फाइटर्स को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए। नियमों में छूट दी जाए और उनके दो सहयोगियों का सर्टिफिकेट लिया जाए, जेल का रिकॉर्ड लिया जाए या वह फॉर्म भर करउनके परिवार के बच्चे हैं या उनकी पत्नी जो है वह अप्लाई करें या उनका पोता अप्लाई करें और इन चीजों को हटाया जाए। मैं आपके माध्यम से यह बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि फ्रीडम

फाइटर की कुछ समस्याएं हैं। हमारा फ्रीडम फाइटर का बोर्ड अभी तक रिकंस्टीट्यूट नहीं हुआ है। दाढ़ी में हमारा जो मेमोरियल बन रहा है उसका भूमि पूजन कर दिया गया है लेकिन उस पर भी अभी काम नहीं हुआ है। एक हमारे बोर्ड ने उस वक्त यह पास किया था क्योंकि आज की डेट में कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं है। इक्का-दुक्का या कोई जो सुभाष चंद्र बोष जी की फौज में थे वे जिंदा होंगे लेकिन जो पॉलीटिकल फ्रीडम फाइटर्स हैं वे आज इस दुनिया में नहीं है न उनकी पत्नियां है। सरकार ने उस वक्त यह निर्णय लिया था की उनकी एंट्री रेवेन्यू में फ्रीडम फाइटर्स फैमिली की एंट्री की जाए ताकि आने वाली जनरेशन को यह पता लगे कि देश को आजाद करवाने में इन लोगों के परिवारों का इतिहास रहा है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

28.11.2025/1310/एच.के.-एन.जी./1

श्री संजय रत्न........जारी

मेरा मानना है कि इस प्रकार की एंट्री राजस्व रिकॉर्ड में की जाए। हमारे भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से एक किताब छापी गई थी और उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने उस वक्त उस किताब में बहुत सारे लोगों की एंट्री करवाई थी। उसके बावजूद भी तथ्यों के अभाव के कारण हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी छूट गए हैं और उन लोगों की एंट्री उस किताब में नहीं हो पा रही है। जिस कारण उनकी अगली पीढ़ियों को स्वतंत्रता सेनानी परिवार संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आज के समय में डी0सी0 या एस0डी0एम0 द्वारा सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं और ये अधिकारी तो नौजवान हैं। आज एक पटवारी 20-21 साल का नौजवान होता है और उसे अपनी रिपोर्ट में स्वतंत्रता सेनानी लिखना होता है। इन अधिकारियों को क्या पता होगा कि इतिहास में कौन स्वतंत्रता सेनानी था और उसका परिवार कौन सा है क्योंकि इनके पास इस संदर्भ में कोई भी एंट्रीज़ नहीं होती हैं। कुछ अधिकारी उनके परिवारों को धक्के देते हैं और कहते हैं कि यहां से जाओ व रिकॉर्ड ढूंढ़ कर लाओ। उसके बाद वे परिवार दर-

दर की ठोकरें खाते हैं कि कहां से रिकॉर्ड लाएं। यदि एक बार इन परिवारों की एंट्री राजस्व विभाग में हो जाए तो सदियों तक रिकॉर्ड रहेगा कि यह व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखता है। उसके बाद प्रमाण पत्र लेने के लिए किसी को पटवार वृत, एस0डी0एम0 व डी0सी0 कार्यालय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस एंट्री के बाद वे रिकॉग्नाइज्ड स्वतंत्रता सेनानी परिवार होंगे।

अध्यक्ष महोदय, वजीर राम सिंह पठानिया जी व श्री इन्द्र पाल जी जैसे renowned freedom fighters को रिकॉग्लाइज़ किया जाए और वर्तमान नियमों में संशोधन किया जाए। यही सब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.11.2025/1310/एच.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, डॉ0 जनक राज भाग लेंगे।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया व श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने जो संकल्प लाया है, आपकी अनुमति से मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, वजीर राम सिंह पठानिया जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले संगठित विद्रोह व लड़ाई लड़ने वाला नायक/नेता कहा जाता है। जिस प्रकार कोई भी इमारत उसकी नींव पर टिकी होती है लेकिन वह नींव दिखती नहीं है, उसी प्रकार वजीर राम सिंह पठानिया जी के भी साथ हुआ है। उनके योगदान को हम सभी उतना रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए जितना किया जाना चाहिए था। हम यह क्वांटीफाई ही नहीं कर पाए कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कितना योगदान दिया था। मैंने वजीर राम

सिंह पठानिया जी के बारे में पढ़ा और जाना कि उन्होंने अंग्रेजों के ख़िलाफ पांच सफल युद्ध किए हैं। उसमें 1848 का शाहपुर का युद्ध और 1849 में दल्ले की धार का युद्ध शामिल है। इन्होंने अंग्रेजों को हिमाचल प्रदेश से भगा कर उनसे गांव व किले मुक्त करवाए थे। एक कहावत है कि 'घर का भेदी लंका ढ़ाए' और उसी प्रकार से इनकी गिरफ्तारी हुई थी तथा इन्हें कालापानी की सजा दे दी गई। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सदन में इस प्रकार का प्रस्ताव आया है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, उनको हम याद कर रहे हैं और उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सैनानी की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है और देश का पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल प्रदेश को मिला है। वजीर राम सिंह पठानिया जी के योगदान को समझते हुए हमें इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे थोड़ी देर पहले जानकारी मिली की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में कुछ टिप्पणियां की गई थीं।

28.11.2025/1310/एच.के.-एन.जी./3

मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा नूरपुर में वजीर राम सिंह पठानिया जी के नाम पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने ही वर्ष 1979 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शांता कुमार जी से 99 वर्षों के लिए 3436 हैक्टेयर भूमि इस स्मारक हेतु आवंटित करवाई थी। लेकिन मुझे दुःख हो रहा है कि किसी भी सरकारी संस्था ने इस स्मारक को बनाने में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। वहां पर बहुत सारे लोग स्वेच्छा से अपना योगदान दे रहे हैं और हमने भी अपनी सामर्थता के अनुसार अपना-अपना योगदान दिया है। इस

संकल्प पर हो रही चर्चा के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस स्मारक का कुछ कार्य अधूरा है

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

28.11.2025/1315/पी0बी0/वाई0के0-1

डॉ0 जनक राज.....जारी

और उसको पूरा करने के लिए जितनी भी धनराशि की जरूरत है, सरकार उसे भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग को जारी करे क्योंकि जितना हमारे हाथ में है हम उतना तो कर ही सकते हैं। स्मारक के स्थान पर उनकी मूर्ति बनकर तैयार हो गई है जिसमें वे घोड़े पर बैठे हैं और घोड़े की अगली टांगे ऊपर उठी हैं। मैं जब वज़ीर राम सिंह पठानिया जी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे विधान सभा के अध्यक्ष जी भी व्यक्तिगत तौर पर उनके योगदान को संरक्षित करने और लोगों को बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा किए गए इन प्रयासों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस संकल्प के माध्यम से सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि सरकार उस स्मारक के लंबित कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि जारी करे। वज़ीर राम सिंह पठानिया जी को भारतीय स्वतंत्रा संग्राम के प्रथम नायक का दर्जा देने के लिए जो प्रस्ताव सदन में लाया गया है मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

Speaker : Hon'ble Parliamentary Affairs Minister will give reply on behalf of the Hon'ble Chief Minister.

Parliamentary Affairs Minister : Hon'ble Speaker, Sir, I welcome the resolution moved by Hon'ble Members Shri Kewal Singh Pathania Ji and Shri Bhawani Singh Pathania Ji and supported by other Hon'ble MLAs regarding "This

House should consideration passing a resolution to declare Wazir Ram Singh Pathania Ji as one among the pioneering Freedom Fighters of the War of Independence against the British Raj and recommends the same to the Central Government."

I would like to inform the House that late Wazir Ram Singh Pathania Ji is among those great heroes of our State who made significant contributions in the struggle against British rule and as has been said by the Hon'ble MLAs, how his contribution regarding the freedom struggle which he contributed but

28.11.2025/1315/पी0बी0/वाई0के0-2

his contribution has not been recorded and has not been appreciated in the history and other books.

In the year 2019, this matter was brought to the consideration of the State Government by the Nurpur Rajput Sabha. After thoroughly examining the available records and facts, the case was forwarded to the Government of India, for necessary action. However, no response has been received from the Government of India in this regard till date.

Based on the available records, it is evident that the late Wazir Ram Singh Pathania Ji led several important campaigns opposing colonial rule, due to which his contribution is regarded as significant in the early phases of the freedom struggle.

It is also my earnest view that late Wazir Ram Singh Pathania Ji should be accorded recognition as a Freedom Fighter. His sacrifice and contributions will always remain memorable in the history of the State and the Nation. As per the guidelines issued by the Government of India for declaring Freedom Fighters, any formal recommendation from the State Government is made only

in accordance with the prescribed procedure, following this process, the matter has earlier been sent to the Government of India. However, keeping in view the interests of the State and the imperative of historical justice, I propose that - The august House may pass the resolution to declare late Wazir Ram Singh Pathania Ji as a Freedom Fighter and that this resolution be forwarded to the Government of India for necessary action.

Hon'ble Speaker, Sir, I support the resolution and this resolution be send to the Government of India as a recommendation of the House, and I humbly request the House to endorse the same.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय रतन जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

28.11.2025/1315/पी0बी0/वाई0के0-3

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जी0ए0डी0 को नियमों को रिलेक्स कर वज़ीर राम सिंह पठानिया जी को स्वतंत्रा सेनानी घोषित करने के निर्देश दिए जाएं। मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है कि इन्हें अभी राज्य स्वंतत्रा सेनानी का भी दर्जा नहीं मिला है। इनके साथ-साथ इन्द्र पाल जी को भी यह दर्जा नहीं दिया गया है। अगर सरकार जी0ए0डी0 को निर्देश देगी कि जी0ए0डी0 में स्वतंत्रा सेनानी का दर्जा देने के लिए जो कंडीशन्ज है उसमें उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा इसके लिए अप्लाई करना होगा और इसके साथ उन्हें या तो जेल जाने का सर्टिफिकेट या अपने दो अन्य साथियों का सर्टिफिकेट देना होगा। इन कंडीशन्ज को रिलेक्स कर वज़ीर राम सिंह पठानिया और इन्द्र पाल जी को पहले स्टेट फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए क्योंकि ये प्रख्यात स्वतंत्रा सेनाना हैं।स्टेट का दर्जा देना तो हमारे हाथ में है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी........

28.11.2025/1320/Y.K./A.P./01

श्री संजय रत्न जारी .....

आज इस हाउस के माध्यम से स्टेट जी0ऐ0डी0 को डायरेक्शन दिये जाए कि नियमों को रिलेक्स किया जाए और इन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। माननीय सदन में इस प्रस्ताव को लेकर जो सुझाव दिए गए हैं, उन्हें हम भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग और जी.ए.डी. को परीक्षण हेतु भेजेंगे ताकि जो भी प्रक्रिया में परिवर्तन करना होगा वे कर सकें। जिन स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख इस सदन में किया गया है उनके लिए यदि हमें प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ा तो हम करेंगे। One of the reason यह भी है कि जब वर्ष 1947 में देश आज़ाद हुआ था उस समय आज का नया हिमाचल पंजाब का भाग था। उस वक्त पंजाब में इतिहास, कला और संस्कृति की किताबों में हमारे इस क्षेत्र का उल्लेख ही नहीं किया गया और उन्होंने हमारे इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को भी अधिक महत्व नहीं दिया। Because this area was not the priority of the Punjab Government. इसलिए हम भाषा, कला और संस्कृति विभाग को भी कहेंगे।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस समय उनके परिवार के सदस्यों द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के लिए अप्लाई ही नहीं किया गया था।

अध्यक्ष : जब परिवार ही नहीं होगा तो अप्लाई कौन करेगा।

Parliamentary Affairs Minister : I assure you on behalf of the Government that whatever changes are to be made in the rules, they will be examined and accordingly action will be taken.

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के आग्रह और अनुरोध पर मैं इसे एडॉप्ट करने के लिए, This resolution to be adopted by the House. I am putting it further for the vote.

28.11.2025/1320/Y.K./A.P./02

The Question is that "This House should consideration passing a resolution to declare Wazir Ram Singh Pathania Ji as one among the pioneering Freedom Fighters of the War of Independence against the British Raj and recommends the same to the Central Government."

संकल्प स्वीकार।

सदन की बैठक भोजनावकाश हेतु 02:20 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

28.11.2025/1425/AT/AG.01

अध्यक्षः अब सेकंड रेज़ोल्यूशन जो आज की लिस्ट में है वह माननीय श्री चंद्र शेखर जी का है। He is absent. उन्होंने औथराइज़ भी केवल सिंह जी को किया है and he is also not present. वैसे यह authorization होती नहीं है । Since he is absent, so the Resolution is dropped. अब इससे अगला रेज़ोल्यूशन है माननीय श्री सुखराम चौधरी जी का। अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री सुखराम चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश में बढ़ती हुई बेसहारा पशुओं की संख्या को देखते हुए, उनके रहने के लिए एक मुफ्त गौशाला बनाने पर यह सदन विचार करे।

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन सरकार से सिफ़ारिश करता है कि प्रदेश में बढ़ती हुई बेसहारा पशुओं की संख्या को देखते हुए, उनके रहने के लिए मुफ्त गौशालाएं बनाने पर विचार करे। निर्धारित समय है 40 मिनट। अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी उत्तर देंगे और उसके बाद माननीय सदस्य अगर संकल्प वापस

लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री सुखराम चौधरी जी से कि वह अपना संकल्प डिटेल 10 मिनट के अंदर-अंदर रखने का प्रयास करें।

Thank you very much.

एम0डी0 द्वारा जारी .....

27-11-2025/1430/AG/MD/1

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में दिन-प्रतिदिन बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है। फिर चाहे वह नील गाय और जंगली सूअर हैं परंतु बेसहारा पशुओं की संख्या के कारण हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है। किसान महंगे बीज और खाद का उपयोग करके कड़ी मेहनत से फसल उगाते हैं। लेकिन रात में उन आवारा पशुओं को जब भी अपना पेट भरने के लिए समय मिलता है तो वे बेसहारा पशु झुंडों में आकर उनकी पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। कई क्षेत्रों में जंगली जानवरों और बेसहारा पशुओं के कारण किसानों ने खेती करना छोड़ दी है। पड़ोसी राज्यों से भी कई लोग अपने पशुओं को रात के समय हमारे प्रदेश में छोड़ जाते हैं। इससे यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 4.30 लाख बेसहारा पशु हैं। हमारे पास सरकारी सेक्टर में केवल 27 गौशालाएं हैं, जिनको सरकार चला रही है। जिनमें वर्तमान में मात्र 6800 पशु रखे गए हैं। मैं आदरणीय जय राम ठाकुर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस समस्या को देखते हुए, जब वे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने गौ सेवा सदन आयोग का गठन किया था। जिन लोगों ने उस समय प्राइवेट सेक्टर में गौशालाएं खोलीं उनको पहले 500 रुपये प्रति पशु तथा बाद में 600 रुपये प्रति पशु सहायता दी गई ताकि वे उन्हें बेहतर ढंग से चला सकें। लेकिन आज स्थिति यह है कि कई नेशनल हाईवे पर बेसहारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं और हिमाचल प्रदेश में पिछले दो वर्षों में सैंकड़ों लोगों की जानें बेसहारा पशुओं के टकराने से जा चुकी हैं। आज मैं

प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि यह हिमाचल प्रदेश में एक विकराल समस्या बन चुकी है। इसलिए मैं प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक ऐसी नीति बनाई जाए जिसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम-से-कम एक सरकारी गौशाला जरूर हो। गौशालाएं खुली, सुव्यवस्थित और आधुनिक हों, जहां कम से कम 1000 बेसहारा पशुओं को रखा जा सके और उनके वहां पर उनके खाने और उपचार की उचित व्यवस्था हो। पूरे प्रदेश में कम से कम 68 ऐसी गौशालाएं बननी चाहिए। अगर हम बेसहारा पशुओं को पकड़ते भी हैं तो वर्तमान में स्थिति यह है कि पकड़े गए पशुओं को रखने के लिए गौशालाओं में जगह ही नहीं मिलती। राजगढ़ ब्लॉक की सरकारी गौशाला में 250 पशु हैं और उसमें भी जगह पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार नाहन में दो सड़का के

27-11-2025/1430/AG/MD/2

समीप कंगनीवाला में माता बाला सुदंरी, त्रिलोकपुर के नाम से गौशाला स्थापित है। वह गौशाला भी पूरी तरह पशुओं से भरी हुई है। जो निजीकरण में गौशालाएं खोली हैं उनमें पशुओं को रखने की जगह नहीं है

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

28.11.2025/1435/केएस/एएस/1

श्री सुख राम चौधरी जारी ---

जब कहीं जगह नहीं है तो जो ये बेसहारा पशु किसानों का नुकसान कर रहे हैं, जिनके कारण एक्सिडैंट हो रहे हैं और दिन-प्रतिदिन लोगों की जान जा रही है, सरकार उनका रख-रखाव करें ताकि उनको शैल्टर मिले। उसके लिए सरकार क्या योजना बनाना चाहती है, यह मैं जानना चाहता हूं? मैंने पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जब

गौसदन बने तो बेसहारा पशुओं के लिए कुछ राशि तय की गई थी। प्राइवेट सैक्टर के बहुत से लोग भी आगे आए परंतु वह अपर्याप्त है। उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस समस्या के समाधान के लिए सरकार एक मुश्त गौशाला बनाने पर विचार करे। जहां-जहां भी नेशनल हाईवेज़ हैं, जहां भी सम्पर्क मार्ग हैं, सैंकड़ों की संख्या में रात को पशु वहां पर बैठे रहते हैं। वहां पर हाई स्पीड से गाड़ियां चलती हैं। पशुओं और लोगों की जान चली जाती है। इसलिए इसके बारे में सरकार को कोई न कोई योजना बनानी चाहिए ताकि प्रदेश को इस समस्या से निजात दिलाई जा सके। जो दूसरे प्रदेशों या हिमाचल के लोग पशु पालते हैं, जब उनका पशु दूध देना बंद कर देता है तो उसको रात के अंधेरे में छोड़कर चले जाते हैं। उसके लिए भी सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। जब उनका पशु दूध देना बंद कर देता है तो वे उसको मरने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रोविज़न होना चाहिए ताकि जो व्यक्ति पशु पाले, जब वह दूध देना बंद कर दे तो घर में उसकी सेवा करे। यह आज के युग में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आदमी कमर्शियल बन गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेयरी फॉर्म खोल रखे हैं। जब तक पशु दूध देता है, चार-पांच बार दूध बयाने के बाद वह जब दूध देने के अयोग्य हो जाता है तो उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं इसलिए यह कानून आज की तारीख़ में बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें पिछले चार-पांच सालों में इन पशुओं के साथ एक्सिडेंट होने के कारण हजारों लोगों की जान चली गई है। बहुत से लोगों ने आज खेती करना छोड़ दिया है क्योंकि खेती से कुछ निकलता ही नहीं है। किसी की दो या चार बीघा जमीन है, उसने अच्छा बीज डाला, अच्छी खाद डाली, मेहनत की लेकिन अगर वहां रात के समय में 12-15 पशु चले जाएं तो उसकी फसल खत्म हो जाती है और उस किसान की 6 महीने की मेहनत खराब हो जाती है। जो लोग जंगल के किनारे रहते हैं, जिनके खेत वहां हैं, नील

28.11.2025/1435/केएस/एएस/2

गाय, सूअर तथा अन्य जंगली जानवर उनकी फसल का नुकसान करते हैं इसलिए लोगों का इंट्रस्ट दिन-प्रतिदिन खेती करने से उठता जा रहा है। मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता, अध्यक्ष महोदय, मैं तो आग्रह करना चाहता हूं कि आज जरूरत है कि हिमाचल

प्रदेश में 68 के 68 विधान सभा क्षेत्रों में कम से कम एक-एक गौसदन खुले में बनना चाहिए। हमारे पास वन भूमि है जिसकी स्वीकृति लेकर हजारों बीघा जमीन में उसको बनाया जाए और खुले में भी पशुओं को रखा जाए। वहां एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाए तथा एक डॉक्टर का भी प्रबन्ध किया जाए। अगर लार्ज स्केल पर इसको खोलेंगे तो हम वहां पर बिजली भी पैदा कर सकते हैं। गाय के गोबर से बिजली भी पैदा हो सकती है। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से वर्तमान सरकार से, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय तथा कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा समाधान निकालने का प्रयास किया जाए,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी...

28.11.2025/1440/av/as/1

श्री सुखराम चौधरी जारी------

ताकि लोग अपनी खेती भी कर सकें और हिमाचल प्रदेश के लोगों को इनके कारण होने वाली दुर्घटनाओं से राहत मिल सकें। यहां पर रात के समय -जो लोग पशु छोड़कर जाते हैं, उनके ऊपर भी सख्त कानून बनाकर बंदिशें लगाई जाएं ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों व किसानों को राहत मिल सकें। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस संकल्प पर लगभग 7 माननीय सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए 40 मिनट्स का समय निर्धारित किया गया है और उसमें से 10 मिनट्स मूवर ने ले लिए हैं। अब 30 मिनट्स का समय शेष बचता है, इसलिए सभी वक्ता अपनी बात 2 से 5 मिनट्स के अंदर समाप्त करें। इस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से केवल एक सदस्य बोलने वाले हैं बाकी 6 भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोलेंगे।

28.11.2025/1440/av/as/2

अब माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल अपनी बात रखेंगे।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सुख राम चौधरी ने सदन के अंदर जो आवारा पशुओं की बात रखी है, यह समस्या केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं है अपितु दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलती है। यहां पर जो आवारा पशु देखने को मिलते हैं उनमें पहाड़ी नस्ल के पशु बहुत कम होते हैं। यहां आवारा पशुओं में दूसरे राज्यों के पशुओं की नस्लें ज्यादा पाई जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश में बहारी राज्यों के लोग चुपके से अपने पशुओं को छोड़ते हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार उनको इस प्रकार का कार्य करने से रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास करे। सड़कों पर पाए जाने वाले पशु जो आज छोटे हैं, उनका दिन-प्रतिदिन आकार बढ़ता ही जाता है। आवारा सांडों की वजह से कई बार लोगों की जानें गई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।

अगर हम दूसरे देशों में देखें तो वहां पर इस प्रकार की आवारा पशुओं की समस्या नहीं है। वहां पर यह समस्या क्यों नहीं है? हम लोग धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। यहां पशुओं को मारना जुर्म व धर्म के विरुद्ध समझा जाता है जबकि दूसरे देशों में पशुओं को काटकर खा जाते हैं इसलिए वहां पर इस प्रकार की आवारा पशुओं की समस्या नहीं है। हमारा देश व प्रदेश धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है इसलिए यहां पर आवारा पशुओं की समस्या है। परंतु यह भी नहीं कहा जा सकता कि आवारा पशुओं की समस्या केवल हिमाचल प्रदेश में ही है और दूसरे राज्यों में नहीं है।

यहां पर सरकार द्वारा बहुत सारे गौसदन चलाए गए हैं। कई गौसदन मंदिरों से अटैच किए गए हैं। लेकिन उससे भी समस्या हल नहीं हो रही है क्योंकि आज लोग स्वार्थी बन चुके हैं। अगर पशु दूध देता है तो हमारा और अगर दूध देना बंद कर दे तो सरकारी होता है। इसलिए सारा दोष सरकार का है, यह कहना भी गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमारा समाज भी जिम्मेवार है। सरकार यह प्रयत्न करे कि जो लोग आवारा पशुओं को छोड़ते हैं उनको सख्त-से-सख्त सजा मिले। अगर एक बार किसी को सख्त सजा मिलेगी तो उससे दूसरे लोगों को भी हिदायत मिलेगी कि आवारा पशु छोड़ने वाले को सजा भी होती है। आज तक आवारा पशु छोड़ने वाले को कोई सजा नहीं हुई और न ही

28.11.2025/1440/av/as/3

कभी ऐसे लोग पकड़े गए। जहां तक गौसदनों का प्रश्न है, आप जितने मर्जी गौसदन खोल लीजिए इससे आवारा पशुओं का समाधान होने वाला नहीं है। हमारे पास ऐसे कई वन हैं जहां पर छोटे-छोटे नदी-नाले हैं। हमारा वन विभाग वहां पर तार लगाकर ऐसे स्थान बनाएं जहां इन पशुओं को इकट्ठा करके छोड़ा जा सकें और पशु वहां पर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। वहां पर पशु नदी-नालों से पानी पिएं और उस वन का घास खाएं। इस समस्या का समाधान कुछ हद तक इस प्रकार से भी हो सकता है।

प्रायः यह देखने में आता है कि कई गौसदनों में पशुओं का ठीक रख-रखाव न होने के कारण वहां पशु मरते हैं। इसके पीछे यह कारण है कि सरकार अगर बाहर से तूड़ी खरीदे तो उसका भाव 1500 रुपये प्रति क्विंटल है। हिमाचल प्रदेश में तो तूड़ी भी नहीं होती, यहां पर बाहर से ट्रकों-के-ट्रक तूड़ी के आते हैं।

टी सी द्वारा जारी

28.11.2025/1445/टी0सी0वी0/डी0सी0/-1
श्री किशोरी लाल... जारी

यदि मैं कांगड़ा जिला की बात करूं और पंजाब से तूड़ी न आए तो हम पशु पाल ही नहीं सकते। इसके लिए पशु पालकों के ऊपर कोई कानून बनाया जाए। पिछले दिनों सरकार ने पशुओं की टैगिंग करने का कार्य शुरू किया। मैंने भी पशु रखे हुए हैं और उनमें टैग लगाए हैं लेकिन टैग लगाने के बावजूद भी पशु छोड़े जाते हैं। इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जिससे पशु छोड़ने वालों को सख्त सजा मिले और बाहरी राज्यों से जो पशु छोड़ते हैं उनकी भी निगरानी रखी जाए। सरकार चेकपोस्टों पर हिदायत दें कि बाहरी राज्यों से ट्रकों में लादकर जो पशु लाते हैं उन्हें रोकने का प्रयत्न करें। यह एक गंभीर समस्या है और इसको रोकना अति आवश्यक है। सरकार ने जो प्रयत्न

किए हैं वे नाकाफी है क्योंकि जितनी भी हमारी गौशालाएं हैं वे पशुओं से भरी हुईं हैं। कई गौशालाएं ऐसी जगह बनाई गईं हैं जहां धूप नहीं आती और पशुओं को खाने के लिए पर्याप्त चारा भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए वे पशु भूख से मरते रहते हैं। चाहे हम कितना भी प्रयत्न कर लें लेकिन अगर हम इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो जहां नाले और वन हैं, वहां पर तारबाड़ लगाकर इन पशुओं को रखा जाए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके, यही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।

Speaker: Let us be very brief now. पांच मिनट में ही आपने अपना वक्तव्य रखा है। would request rest of the Members also to finish accordingly. अब डॉ0 जनक राज जी अपने विचार रखेंगे।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, बेसहारा पशु के संबंध में नीति बनाने पर माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी जो प्रस्ताव लाए हैं उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख से अधिक बेसहारा पशु सड़कों पर हैं जिनमें प्रमुखता से दुधारू पशु गाय, भैंस और इस तरह के अन्य पशु हैं बाकी अन्य जंगली जानवर जैसे बंदर और नीलगाय इत्यादि की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए हमें एक हॉलिस्टिक योजना बनाने की जरूरत है जिससे

28.11.2025/1445/टी0सी0वी0/डी0सी0/-2

सही मायने में इन पशुओं के जीवन के साथ-साथ सड़कों पर चलने वाले वाहन और यात्रा करने वाले यात्रियों के जीवन की भी सुरक्षा हो सके। अध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष सैकड़ों एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिनमें रात के अंधेरे में कोई बेसहारा पशु गाड़ी से टकराता है और गाड़ी का भी नुकसान होता है तथा पशु को भी नुकसान होता है यानी पशु को भी चोट लगती है। इससे कई बार गाड़ी में बैठे लोगों की जान को भी खतरा होता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं कुछ सुझाव इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि पहला कार्य पशु हेल्पलाइन जारी की जाए ताकि यदि कोई बेसहारा पशु सड़क पर मिलता है तो सूचना दी जा सके कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में ऐसा एक पशु बेसहारा घूम रहा है।

दूसरा, मेरा सरकार से आग्रह है कि जो टैग लगाते हैं वे क्यों लगाए जाते हैं क्योंकि टैग लगे अनेकों पशु सड़कों पर घूम रहे हैं और उस टैग को ट्रेस करके कोई व्यक्ति उस पशु को मालिक तक नहीं पहुंचता है और न ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। उस टैग के बजाय वहां पर उस पशु के मालिक का आधार कार्ड नंबर लिखा जाए ताकि उसे ढूंढा जा सकें कि वह व्यक्ति कौन है क्योंकि उस टैग पर डिजिटल कोड में कुछ लिखा होता है जिससे मालूम नहीं पड़ता कि क्या लिखा है यानी उसको पढ़ना मुश्किल होता है।

तीसरी, धनोटू जगह में एक बहुत बड़ा एन0जी0ओ0 आवारा एवं बेसहारा पशुओं के लिए काम कर रहा है जोकि चोटिल पशुओं की सेवा करता है। कई बार मैं वहां जाता हूं। वह व्यक्ति हमारे अच्छे संपर्क में है। वे पीपल फार्म नाम से एक एन0जी0ओ0 चला रहे हैं। जब हमने उससे पूछा कि आपको क्या समस्या आ रही है तो उन्होंने बताया कि हमें पूरे जिला और चम्बा से भी

एन0एस0 द्वारा जारी ...

28-11-2025/1450/NS-DC/1

डॉ0 जनक राज ----जारी

चम्बा से भी सूचना आती है कि यहां पर एक पशु बीमार या घायल है इसको ले जाओ। हम लेकर तो आ जाते हैं, ठीक भी कर देते हैं परन्तु उसके बाद उस पशु को कहां लेकर जाएं और कहां छोड़ें? उसके पास इतनी जगह नहीं है कि वह उन पशुओं को वहीं रखे। फिर उसको मजबूरन ये पशु वापिस छोड़ने पड़ते हैं और फिर जब वे दोबारा चोटिल होते हैं तो वापिस लाने पड़ते हैं। इसके लिए स्थायी नीति बनाने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहूंगा

कि सरकार अगले पांच वर्षों के लिए एक गौ संरक्षण नीति बनाए। हम रातोंरात कुछ नहीं बदल सकते हैं। इसके लिए हिम गौ आश्रय योजना शुरू की जाए और प्रत्यके ब्लॉक में एक-दो हजार पशुओं को रखने हेतु गौशालाएं बनाई जाएं। जो भी किसान 10 या इससे ज्यादा बेसहारा पशुओं को गोद लेता है तो उसको प्रोत्साहित किया जाए और उसके लिए गौ पालक सम्मान आदि नाम की योजना बनाई जाए। इस योजना को सरकार और भी नाम दे सकती है, यह तो आपकी मर्जी है। आप इस तरह की कोई योजना लागू करें और किसानों को कोई प्रोत्साहन राशि जारी करें। गोबर उत्पाद आधारित रोजगार जैसे गोबर गैस या उपले बनाने का कार्य शुरू करें और बंजर भूमि पर चारा उगाने के लिए चारा विकास योजना शुरू करें। सरकार की ओर से सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया जाना चाहिए। आने वाले सत्र में पशु क्रूरता या परित्याग अधिनियम लागू किया जाए। अगर कोई व्यक्ति पशुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है या उन्हें बेसहारा छोड़ता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान हो। बिना फंड्ज के कोई भी काम करना मुश्किल है। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सरकार ने पहले ही मिल्क सैस लगाया है जोकि कल्याण का कार्य है। इसके अतिरिक्त आदरणीय मोदी जी ने एक योजना शुरू की है जिसमें केंद्र सरकार से गौ संरक्षण मिशन के तहत 50 प्रतिशत फंड्ज ऐसी गौशालाएं बनाने के लिए मिल सकता है और इसको आप प्रत्येक जिला या ब्लॉक में डवलप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अमूल, पतंजलि आदि से टाई अप कर सकते हैं या गाय के दूध, घी का बिजनैस करने वाली कई कंपनियां हैं उनको सी0एस0आर0 के तहत शामिल करें। कुछ अपनी ड्यूटी वे भी निभाएं और अगले पांच वर्षों का हम लक्ष्य लेकर चलें। हम 6 महीने या एक वर्ष में इस कार्य को कर देंगे तो ऐसा संभव नहीं है। अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि इसी तरह का मुद्दा पिछले सत्र में भी आया था। उस

28-11-2025/1450/NS-DC/2

समय भी हमने सुझाव दिया था कि इन आवारा पशुओं को गले में रेडियम कॉलर का पट्टा पहना दें। हम डेढ़ वर्ष से देख रहे हैं कि सरकार ने ऐसी योजना पर कोई काम नहीं किया है। मैंने अपने स्तर पर ये रेडियम पट्टे मंगवा लिए हैं। मेरे पास एक या दो हजार पट्टे आए हैं

और जहां-जहां मुझे आवारा पशु दिखते जाएंगे तो मैं उनको पहनाता जाऊंगा। इस बात से पीड़ित होकर मैं कहना चाहता हूं कि सदन का ध्यान किसी भी बात की ओर आकर्षित करने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि इसी तरह के संकल्प पर हम डेढ़ वर्ष पहले भी चर्चा कर चुके हैं जिसका आज तक कोई परिणाम नहीं निकला।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

28-11-2025/1450/NS-DC/3

अध्यक्ष : अब श्री प्रकाश राणा जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री प्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन में प्रस्ताव आया है कि बेसहारा पशुओं के लिए कोई नीति बनाई जाए। मैं पिछले 5 वर्षों से देख चुका हूं कि जब भी सत्र लगता है तो इस बात को उठाया जाता है। अगर हिमाचल को सुरक्षित बनाना है तो हमें सबसे पहले अपनी सड़कों को सुरक्षित करना पड़ेगा। इससे हमें ही समस्या नहीं है बल्कि जो भी पर्यटक बाहर से आ रहा है वे भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि अगर बार-बार बात इस माननीय सदन में उठती है तो उसका समाधान करना जरूरी है। माननीय मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। मैं समझता हूं कि हर विधान सभा क्षेत्र में एक बड़ा गौसदन बनाया जाए। कई गरीब लोग अपने खेतों पर ही निर्भर हैं। वे लोग अगर गेहूं बीजेंगे तो वे पूरी-पूरी रात या 5 घंटे अपने खेतों का पहरा करते हैं। ये संख्या कम नहीं है।

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

28.11.2025/1455/RKS/HK-1

श्री प्रकाश राणा... जारी

मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 10-12 हजार आवारा पशु घूम रहे हैं। आजकल लोग रात को डर-डर कर हाइवे पर गाड़ियां चलाते हैं। उन्हें डर रहता है कि पता नहीं कब कौन-सा आवारा पशु उनकी गाड़ी के आगे आ जाए। ये आवारा पशु रात के समय बाहर निकलते हैं और दिन में एक जगह बैठे रहते हैं। मैं श्री जय राम ठाकुर की पूर्व सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चुनाव क्षेत्र में एक गौसदन बनाने का काम किया था। उस गौसदन के निर्माण कार्य में लगभग पौने दो करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। लडभड़ोल के कुड महादेव मंदिर में एक बाबा जी रहते हैं जिन्होंने गौसदन बनाने के लिए जमीन सरकार के नाम की और वहां गौसदन बनाने का कार्य भी शुरू हुआ। मैंन उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कई बार विभागीय अधिकारियों से बात की। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत करवाना चाहूंगा कि उस गौसदन का थोड़ा सा कार्य शेष है। वह कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है लेकिन जैसे ही सरकार बदली उसके बाद उसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई। जब सरकारें चेंज होती हैं तो पिछले कार्य रोक दिए जाते हैं और यही हिमाचल को पीछे ले जाने का कारण भी है। भले ही उन कार्यों में कई सौ करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हों परंतु जब सरकार चेंज होती है तो उन कार्यों को बंद करके नये कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों का भला नहीं हो सकता। मेरा आग्रह है कि जब कोई सरकार चेंज हो तो दूसरी सरकार का कर्तव्य है कि पहले वाले कामों को चालू रखा जाए तब जाकर हम कहीं सही जगह पहुंच पाएंगे। मैं देख रहा हूं कि हर साल सड़कों पर 1500 से 2000 तक पशु मर जाते हैं। मेरा आग्रह है कि सरकार इनके संरक्षण के लिए कोई नीति बनाएं। कई पशु भूख से, कई पानी के बिना और कई एक्सिडेंट से मर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इनकी रक्षा के लिए कोई ठोस नीति बनानी चाहिए। यह पूरे हिमाचल प्रदेश का मसला है इसलिए हम सबको मिलजुल कर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्या श्रीमती रीना कश्यप इस चर्चा में भाग लेंगी।

28.11.2025/1455/RKS/HK-2

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय सदस्य श्री सुखराम चौधरी जी ने इस सदन में रखा है मैं भी अपने आप को इसमें शामिल करती हूं। आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रदेश में बढ़ती हुई बेसहारा पशुओं की संख्या को देखते हुए उनके रहने हेतु एक बड़े पैमाने पर गौशालाओं का निर्माण हो यह विचार इस सदन में रखा गया है। मैं कहना चाहूंगी कि यह विचार एक अत्यंत संवेदनशील है। जैसा हम सभी जानते हैं कि पशु पहले से ही हमारे समाज और कृषि व्यवस्था की रीढ़ रही है। जो बेसहारा पशु सड़कों में लावारिस घूमते हैं उन्हें देखकर हमें और समाज को कहीं-न-कहीं जरूर पीड़ा होती है। यह दृश्य न केवल मानवीय दृष्टिकोण से दुःखद है बल्कि इसके बहुत गंभीर परिणाम भी सामने आ सकते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जो इस तरह से पशुओं को लावारिस सड़कों पर छोड़ते हैं उनके विरुद्ध कठोर नियम बनाए जाने चाहिए ताकि लोग पशुओं को सड़कों पर न छोड़ें। हम अक्सर देखते हैं कि जो आवारा पशु सड़कों पर घूमते हैं उनके कारण बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यहां कई बार यह जिक्र किया गया कि आवारा पशु खेतों में जाकर फसलें नष्ट कर देते हैं। इस विषय पर कुछ दिन पहले मुझसे भी टाहलीभूजल पंचायत से एक डेपूटेशन मिला था। वहां पर नेरी पुल के पास एक पशुओं से भरा ट्रक सड़क पर छोड़ दिया गया था। अब वे पशुओं खेतों में घुसकर वहां के किसानों की सारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि अगर इस तरह से होता है तो इसके लिए आप अवश्य सख्त नियम बनाएं। इस समस्या को देखते हुए पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने कोटला-बड़ोग के पास एक गौसदन खोला था।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

28.11.2025/1500/बी.एस./एच. के.-1

श्रीमती रीना कश्यप जारी...

इस समस्या को देखते हुए हमारे पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने कोटला बड़ोग में काऊ सेंचुरी खोली थी जिससे की काफी बड़ी राहत वहां पर उस क्षेत्र के लिए पहुंची थी। मैं इसके लिए पूर्व मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और कहना चाहती हूं कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गौ सदनों का निर्माण होना चाहिए क्योंकि हमारा सदन केवल मनुष्य कल्याण के लिए ही नहीं बल्कि जीव कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि जो गौसदन खोलने का निर्णय आप लेंगे उसमें कुछेक सुविधाएं होना बहुत जरूरी हैं। वहां पर वाटर टैंक की बहुत आवश्यकता होती है। इसे आप अवश्य सुनिश्चित करें। पीने का पानी और हरी घास के लिए पानी वहां पर उपलब्ध होना चाहिए। वहां पर दवाइयों और सोलर लाइट का भी प्रबंध होना चाहिए क्योंकि आज हमारा गौ वंश खतरे में है और उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मेरा सरकार और मंत्री जी से निवेदन है कि आप इसके लिए कठोर-से-कठोर नियम बनएं, धन्यवाद।

28.11.2025/1500/बी.एस./एच. के.-2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य बलबीर वर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो आज माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी ने एक संकल्प इस माननीय सदन में लाया है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। कोई भी सरकार अपने वोटों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूं। परंतु जो हमारी गौ सेवा है इसके लिए कहा गया है कि गौ सेवा परमो धर्म, गौ सेवा सबसे उत्तम धर्म है। इसके लिए मैं आदरणीय जय राम ठाकुर जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि इन गायों का किसी को वोट नहीं पड़ना है। आज कोई भी सरकारें वोट के आधार पर योजनाएं बनाती हैं और किस श्रेणी के कितने वोटे पड़ते हैं उस आधार पर योनाएं बनाई जाती हैं। परंतु आदणीय जय राम ठाकुर जी के अंदर जो गौ सेवा का भाव था उसकी मैं प्रशंता करता हूं। इन्होंने 1 फरवरी, 2019 को एक गौ सेवा आयोग का गठन किया। जिसमें हर पशु के लिए धन का प्रावधान किया गया और मैं दावे के साथ कह सकता है कि हिमाचल प्रदेश में सैंकड़ों गौ सदन बने। आज प्रदेश के

लाखों पशु ठंड से, दुर्घटना से और भूख-प्यास से मर रहे होते। इन सभी चीजों से बचा लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवती है कि यह जो लोग पशुओं को छोड़ने वाले है ये हिमाचल प्रदेश के हैं। जब तक इनके लिए कोई सजा का प्रावधान कानून में नहीं बनाएंगे तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा।

मेरा पहाड़ी क्षेत्र है और यह जंगल वाला क्षेत्र है। सब निचले क्षेत्र के लोग ऊपर आ करके पशुओं को जंगलों में छोड़ जाते हैं। मैं स्थान का नाम नहीं लेना चाहता। हमारे क्षेत्र में 5-6 फुट तक बर्फ पड़ती है। मैंने एक बार अपनी आंखों से देखा कि बर्फ के नीचे 30 पशु मरे हुए थे और बल्डोजर से उन्हें फैंका जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जब तक कानून का सख्त प्रावधान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। कई बार हमने सख्त एक्शन लेने की कोशिश की, एक बार पुलिस भी बुलाई जैसे ही पुलिस ने तहकीकात शुरू की उतने में कुछ लोगों ने उन पशुओं के कान से वे स्टिकर ही काट दिए। लोग अत्याचार की सारी सीमाएं क्रोस कर रहे हैं। ये काई बाहर के लोग नहीं है परंतु हिमाचल प्रदेश के ही लोग हैं। आप सीधे पैसे का प्रावधान कर रहे हैं। इसके बदले तुड़ी के लिए ऐसे पैसे का प्रावधान कीजिए कि प्रदेश में जितने भी गौ सदन हैं वहां पर पशुओं के

28.11.2025/1500/बी.एस./एच. के.-3

लिए सीधे चारा पहुंचे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी अनिवार्य कीजिए कि हर माह गौ सदनों में डॉक्टर और पशुपालन स्टाफ जाए। यदि गौ सदन में कोई बीमारी लती है तो बहुत सारे पशु मर जाते हैं।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

28.11.2025.1505.डी0टी0-वाई0के0.-1

श्री बलवीर सिंह वर्मा जारी..

अगर मनरेगा के माध्यम से भी इसमें कुछ किया जा सकता है। मरनेगा से भी गउसदन में आप अपनी दिहाड़ी लगा सकते हैं। कुछ लोग पशुओं के लिए चारे का प्रावधान कर सकते हैं। Coopratiνe Scoial Responsibility Fund में भी इसकी व्यवस्था करे। इसमें ऐसे सभी प्रोजैक्ट, जिससे सरकार को राजस्व आता है, ये प्रोजैक्ट जिस भी क्षेत्र में लगें हैं, उस क्षेत्रों

में इन प्रोजैक्टस से पशुओं के लिए कुछ-न-कुछ प्रावधान किया जा सकता है। ऐसे पशु जो सड़क किनारे रहते हैं और किस-न-किसी कारण से दुर्घटना से उन पशुओ को चोट लग जाती है, उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पशु चिकत्सालय में उस पशु का उपचार करवाया जा सके। ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि अगर किसी पशु के दोनों खुर टूट गये हैं यास उसे कोई और शारीरिक क्षति हुई है तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार का प्रावधान जरूर करें। जब तक सरकार कोई सख्त कानून नहीं बनाती तब तक ये पशु हमें सड़कों पर ही मिलेंग। इसलिए इस पर सख्त कानून बनना चाहिए।

Speaker : Thank you very much Hon'ble Member to be within time. अब इस संकल्प में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री सुख राम चौधरी जी ने जो प्रस्ताव लाया है 'यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में बढ़ते हुए बेसहारा पशुओं की संख्या को देखते हुए उनके रहने के लिए एकमुशत गौशालाएं बनाने पर विचार करें'। मैं भी इस विषय को लेकर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से बेसहारा पशुओ की संख्या दिन- प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें अधिकतर संख्या गाय और बैलों की है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से बेसहारा गायों की संख्या बढ़ती जा रही है यह बहुत ही चिंतनीय है क्योंकि हम सब सनातन को मानने वाले हैं और हम सब गाय को गौमाता कहते हैं और स्वाभाविक है कि जब उस गौमाता को चौराहों पर हम देखते हैं तो हमें दुःख होता है, इसलिए मुझे लगता है इसे लेकर पूरे सदन को विचार करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी जिस तरह से प्रदेश में बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है वह ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि जितने भी एक्सिडेंटस आज की डेट में हो रहे हैं वह आवारा पशुओं की वजह से ही हो रहे हैं,क्योंकि आजकल

28.11.2025.1505.डी0टी0-वाई0के0.-2

समय किसी के पास भी नहीं है, यह भी चिंता की बात है। जिस भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना होता है उसके पास समय का अभाव होता और वह व्यक्ति अपने

गंतव्य पर जल्दी पहुंचना चाहता है। शाम के समय में जितने भी एक्सिडेंटस होते हैं उनमें से अधिकतर एक्सिडेंटस बेसहारा पशुओं के कारण होते हैं। उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर बात आई कि प्रदेश के किसान भी बेसहारा पशुओं से दुःखी है। अध्यक्ष महोदय आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो उपजाऊ भूमि थी जिसमें किसान खेती करते थे, अब किसानों ने उस भूमि में खेती करना छोड़ दिया है। उसका कारण यह नहीं है कि वहां पर खेती नहीं की जा सकती बल्कि उसका कारण यही है कि दिन-प्रतिदिन बेसहारा पशु बढ़ते जा रहे हैं और इसी कारण से किसानों ने भी धिरे-धिरे खेती करना बंद कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हमें हर पंचायत स्तर पर इस विषय को लेकर विचार करना चाहिए

श्री एन0जी0 द्वार जारी...

28.11.2025/1510/वाई.के.-एन.जी./1

श्री विनोद कुमार........जारी

कि किस पंचायत, किस विधान सभा क्षेत्र और किस जिला में कितने बेसहारा पशु हैं। प्रदेश सरकार को संबंधित विभाग के माध्यम से इस प्रकार की एक सूची तैयार करवानी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें पहले तो पंचायत स्तर पर गौ-शालाओं का निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन यदि पंचायत स्तर पर करना कठिन है तो हमें विधान सभा क्षेत्र के स्तर पर गौ-शालाओं का निर्माण निश्चित तौर पर करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये गौ-शालाएं आधुनिक तकनीक के आधार पर स्थापित होनी चाहिएं। इनके अंदर पशुओं के चारे व पानी की उचित व्यवस्था, वेटरनरी फार्मासिस्ट व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का होना अतिआवश्यक है। मैं समझता हूं कि यदि इन सभी व्यवस्थाओं को कर दिया जाए तो आने वाले समय में जो बेसहारा पशुओं को लेकर पूरे प्रदेश में एक समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उस समस्या का निश्चित तौर पर समाधान किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जब तक पशु काम का होता है तो उसका मालिक उसे अपने पास रखता है लेकिन यदि बैल ने हल जोतना और गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो उस पशु को उसके मालिक द्वारा सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। मैं समझता हूं कि जब तक हम इस माननीय सदन के माध्यम से इसके लिए एक कठोर कानून नहीं बनाएंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि इस समस्या के समाधान के लिए इस माननीय सदन के माध्यम से एक कठोर कानून बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने अपने कार्यकाल में गौ-सेवा आयोग का गठन किया था। पूर्व सरकार ने इस आयोग के माध्यम से प्रदेश के अनेकों विधान सभा क्षेत्रों में जहां-जहां पर जगह उपलब्ध हो पाई, वहां पर गौ-शालाओं का निर्माण करवाया था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पूर्व सरकार के समय में दो स्थानों पर गौ-सदनों का निर्माण हुआ था। उनमें से एक बांके बिहारी गौ-सदन है और दूसरा नंदीग्राम, नैहरा गौ-सदन है और इन दोनों गौ-सदनों के लिए श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने

28.11.2025/1510/वाई.के.-एन.जी./2

धनराशि उपलब्ध करवाई थी। मैंने पूर्व सरकार में यह मांग की थी कि इनके अलावा भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बड़े गौ-सदन की आवश्यकता है। उसके लिए ग्राम पंचायत कोट में स्थान चिन्हित किया गया और उसका पूरा एस्टिमेट बना कर प्रदेश सरकार को प्रेषित किया। वह गौ-सदन लगभग 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बनना था और श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने लगभग एक करोड़ रुपये जारी भी कर दिए थे। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही प्रदेश में वर्तमान सरकार का गठन हुआ मैंने माननीय कृषि मंत्री से आग्रह किया कि इस धनराशि से उक्त गौ-सदन के निर्माण कार्य को आरम्भ करवाया जाए लेकिन प्रदेश सरकार ने उस पैसे को वापिस ले लिया। माननीय कृषि मंत्री से मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार ने जिस गौ-सदन के लिए पैसा दिया था उन पैसों को फिर से जारी करने का प्रावधान करें। प्रदेश सरकार से मेरा आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश में बेसहारा पशुओं की

गिनती करते हुए सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक-एक आधुनिक तकनीक से लैस गौ-सदन का निर्माण करवाया जाए और यदि इन गौ-सदनों का निर्माण करवा दिया जाता है तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल भाग लेंगे। Please be within time.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री सुख राम चौधरी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प लाया गया है और मैं भी इसकी चर्चा में अपने आप को शामिल करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। सड़कों पर बेसहारा पशुओं के कारण काफी दुर्घटनाएं होती हैं और उनमें जनहानि के साथ-साथ पशुओं को भी नुकसान होता है। इस माननीय सदन में पहले भी

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

28.11.2025/1515/ए0जी0/पी0बी0/-1

श्री त्रिलोक जम्वाल...जारी

यह विषय पहले भी सदन में आया है लेकिन उस समय हम शायद किसी ठोस नीति की तरफ नहीं बढ़ पाए। अध्यक्ष महोदय, हमें इसके कुछ कारण भी जानने होगें लेकिन मैं उन विषयों पर बात नहीं करूंगा जिन पर सदन में पहले चर्चा हो चुकी है। हमें जानना होगा कि किसान पशुओं को आखिर कब और किन परिस्थितियों में छोड़ता है? हमें इस बात का आकलन करना चाहिए कि हमारे प्रदेश में एनिमल हस्बेंडरी के अस्पतालों में स्टाफ की क्या स्थिति है? इन अस्पतालों में इंजैक्शन्ज कब आते हैं? हम जब किसानों से बात करते हैं तो वे हमें बताते हैं कि हमने गाय को दो-चार बार इंजैक्शन लगावा है लेकिन वह

फ्रूटफुल नहीं हुआ। जब पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिर यह सब कैसे और क्यों हो रहा है तो यह मालूम होता है कि इंजैक्शन लगाने के लिए अस्पताल द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भेजा जाता है, जिसके पास इंजैक्शन लगाने का कोई प्रशिक्षण भी नहीं होता। मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि किसान पशुओं को बहुत उम्मीदों के साथ पालता है। यदि इसमें सरकार की तरफ से कोई कमी है तो वह दूर होनी चाहिए ताकि किसान हताश होकर पशुओं को आवारा न छोड़े।

दूसरा, हिमाचल में अधिकांश पशुओं को टैग लगाया गया है लेकिन हमारी विधान सभा क्षेत्रों में कई ऐसे पशु आते हैं जो हमारे क्षेत्र के नहीं होते हैं। हमारे पास पशुओं के लिए कोई नाका या चैक पोस्ट नहीं है। पशु कहां से आ रहे हैं, किधर जा रहे और गाड़ियों में कोई क्या ला रहा है इसकी कोई निगरानी नहीं है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि यदि कोई गाड़ी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यह जानकारी प्राप्त की जाए कि उस गाड़ी में क्या है? जब प्रदेश से पशुओं की तस्करी होती है तो कई लोग और एन0जी0ओज0 ऐसे ट्रकों व गाड़ियों को तस्करी करने से रोकने की कुछ हद तक कोशिश करते हैं। पशुओं की तस्करी की जानकारी लोगों और एन0जी0ओज0 को होती है लेकिन सरकार को नहीं होती। क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी कि हमारे प्रदेश की सीमाओं पर चैक पोस्ट होने के बावजूद भी पशुओं की तस्करी कैसे होती है? यदि प्रदेश से पशुओं की तस्करी हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या तस्करी करने वाले लोग आइडेंटिफाई होने

28.11.2025/1515/ए0जी0/पी0बी0/-2

चाहिए, क्या उन पर एक्शन होना चाहिए और कौन से कानून के तहत उन्हें सख्त-से-सख्त सजा मिलनी चाहिए।

तीसरा, जब पशु को टकर लग जाती है और वह सड़क पर गिर जाता है तो इसकी सूचना किसको करें। इसके लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर सूचना कर भी दें तो उठाने के लिए कौन आएगा? अगर पशुपालन विभाग के लोग आ भी जाएं तो पशु को उठाकर कहां ले जाएंगे? इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। कई पशु चलने की पोजिशन में

नहीं होते और वे कई-कई दिनों तक सड़कों में बैठे रहते हैं। लोग अपना धर्म निभाकर उन्हें घास डालते रहते हैं फिर कुछ दिनों बाद वह पशु अपने प्राण छोड़ देता है। जहां एक्सिडेंट प्रोन एरिया हैं वहां लोक निर्माण विभाग वाले पूरे हिमाचल प्रदेश में ब्लैक स्पॉट ढूंढते हैं लेकिन ये पशु फोरलेन पर घूमते हैं। गोधली समय काले रंग का पशु तो सड़कों में दिखाई ही नहीं देता। जैसा डॉ0 जनक राज कह रहे थे कि इनके गले में रेडियम का पटा डाला जाए, यह कार्य तो सरकार कर ही सकती है ताकि दूर से आइडेंटिफाई हो जाए कि सड़क पर पशु हैं। अगर हम ये छोटे-छोटे काम करते हैं तो हम ह्यूमैन लाइफ और पशुओं को बचा सकते हैं। अगर हमारे पास 10-12 हजार पशुओं को रखने का प्रबंध है और डेढ़ या दो लाख आवारा पशु हैं तो यह चिंता का विषय है। इसलिए जो यहां ओपन फेंसिंग का सुझाव आया है उसमें पानी, चारे का प्रबंध होना चाहिए। अगर 20 किलोमीटर के दायरे में जंगल में फेंसिंग कर पानी, चारे का प्रबंध कर दिया जाए और वहां एकाध केयर टेकर हो तो पशुओं और ह्यूमैन लाइफ को बचाया जा सकता है। इसके ऊपर भी सदन को विचार करना चाहिए क्योंकि ह्यूमैन लाइफ भी महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह (निक्का) जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी.....

28.11.2025/1520/A.G./A.P./01

श्री रणवीर सिंह निक्का :अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस सदन में पेश किया गया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ती हुई बेसहारा पशुओं की संख्या वास्तव में चिंता का विषय है। शाम को 6:00 बजे के बाद जब नौजवान साथी काम से घर लौटते हैं तो आए दिन सुखे में बैठने के लिए ये बेसहारा पशु सड़कों पर आ जाते हैं जिससे दर्दनाक हादसे हो सकते हैं। इन आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं बननी चाहिए। मेरी विधान सभा क्षेत्र नूरपुर की खेल पंचायत में एक पुरानी गौशाला है जो अब फोरलेन प्रोजेक्ट के कारण प्रभावित हई है। वहां

अभी भी 6 से 7 बड़े गौशेड मौजूद हैं, लेकिन गौशाला बंद कर दी गई है। इसे पुनः सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए ताकि बेसहारा पशुओं को वहां रखा जा सके। किसान भाइयों को भी इन पशुओं और बंदरों के कारण भारी नुकसान हो रहा है जिससे उनके खेत एक प्रकार से बंजर होते जा रहे हैं। माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी ने सुझाव दिया कि हिमाचल प्रदेश में बड़े-बड़े जंगल हैं। श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने भी कहा कि ऐसे जंगलों की तारबंदी की जाए और वहां पानी भी उपलब्ध हो ताकि आवारा पशुओं को रखा जा सके। वहां उन्हें खाने और पानी की सुविधा मिलेगी जिससे सड़क हादसे और किसानों का नुकसान कम होगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे जिला कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होता। ग्राम पंचायत ठेहड़ से प्रस्ताव आया है कि वहां काफी सरकारी भूमि है। यदि वहां गौशाला बनाई जाए तो किसानों का नुकसान नहीं होगा। इसी तरह ग्राम पंचायत पक्का टाला में भी बहुत बड़ी लैंड है और वहां पर बहता पानी भी उपलब्ध है। इन जगहों पर बड़ी गौशालाएं बनाई जानी चाहिए। हमने गाय को "गौमाता" का दर्जा दिया है। किसानों और युवा पीढ़ी दोनों को इन बेसहारा पशुओं से नुकसान होता है। आए दिन मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में ऐसी जगह सुनिश्चित की जाए जहां फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होता, जैसे हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा, वहां उपलब्ध सरकारी लैंड और पानी का

28.11.2025/1520/A.G./A.P./02

उपयोग कर गौशालाएं बनाई जाएं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद

Speaker: Thank you very much to be in time. Hon'ble Member Shri D. S. Thakur is the last but not the least.

श्री डी0एस0 ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, बेसहारा पशुओं का प्रस्ताव जो माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी इस सदन में लाए है, उसमें मुझे बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद।

पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं का काफी आंतक है, रोड्ज में जगह-जगह आवारा पशु देखने को मिलते हैं। अगर मैं जिला चंबा की बात करूं तो हमारे एन0एच0 और एस0एच0 पर भी आवारा पशु देखने को मिलते है। मैं माननीय जय राम जी का धन्यवाद करता हूं कि पूर्व में उनकी सरकार के समय हमें मजीर में एक गौ सदन दिया जिसे एक एन0जी0ओ0 द्वारा चलाया जा रहा है। वहां पर 200 गाय और बैल की व्यवस्था है। हमारे रोड्ज में हमें जो आवारा पशु देखने को मिलते हैं हम उन्हें वहां पर रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके विधान सभा क्षेत्र तुनुहट्टी में भी एक गौ सदन है। इसके साथ ही नैनीखड्डु में सड़क के किनारे एक शेड बना है वहां पर 50 से 100 गाय है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी.....

28.11.2025/1525/AT/AS.01

डी0एस0 ठाकुर जारी...

जो सड़कों पर रखी गई हैं तो मेरा अध्यक्ष महोदय से निवेदन रहेगा कि उनको तुनहट्टी में शिफ्ट करवाया जाए। आए दिन कोई-न-कोई गाड़ी उन पशुओं के साथ टकराती है कभी पशु मर जाता है तो कभी गाड़ी वाले को नुकसान होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो सरकार ने हर एक पशु के लिए जो 1100 रुपये महीने चारे के लिए रखा है उसको बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाए क्योंकि चारा काफी महंगा है और उसे पंजाब से लाया जाता है। इसलिए यह धनराशि थोड़ी और बढ़ाई जाए। आवारा पशुओं के साथ-साथ आवारा कुत्तों का भी बहुत ज़्यादा आतंक

आजकल देखने को मिलता है। कॉलेज-स्कूल के नज़दीक, सड़कों पर जो आवारा कुत्ते हैं, जब बच्चे कॉलेज या स्कूल जाते हैं तो उन बच्चों के मन में उन कुत्तों के लिए डर का माहौल होता है। उसके साथ-साथ जो सूअर हैं, वह रात को फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। उसके लिए भी एक नीति बनाई जाए ताकि हमारे किसान भाई हैं, उनका नुकसान न हो। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हर पंचायत में एक गो-शेड बनाया जाए और जितने भी उस पंचायत के आवारा पशु हैं, उनको उस शेड में रखा जाए ताकि वे रोड पर न आएँ। हम जिस गाय को गौ माता मानते हैं उसकी हिफाजत करना भी हमारा दायित्व है। जब हम अपनी लास्ट स्टेज पर आते हैं तो हमें गाय का ही दान करवाया जाता है और कहते हैं कि उसके बाद ही बेतरनी नदी पार होती है। तो हम सभी सदस्यों के इसके ऊपर विचार करना चाहिए ताकि इस पर एक अच्छी नीति बनाई जा सके जो हमारे बेसहारा पशु हैं जैसे गाय-बैल इत्यादि हैं, उन्हें हम एक जगह रख सकें।

अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः शुक्रिया। अब कृषि मंत्री जी इसका जवाब देंगे। इससे पहले कि मैं माननीय मंत्री जी को जवाब के लिए पुकारूं, मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी हाउस के अंदर कोरम नहीं पूरा नहीं और अगर कोरम नहीं है तो House is to be adjourned, whatever is the proceedings we are undergoing, that is not as per the rules. So I will request that in any case if quorum will not be there in House, I will adjourn the House

28.11.2025/1525/AT/AS.02

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री सुखराम जी, जो हमारे पांवटा साहिब से विधायक हैं, उन्होंने जो संकल्प प्राइवेट मेंबर्स के तौर पर रखा है, उसमें उन्होंने बहुत-सी बातों का ज़िक्र किया है। इसमें हमारे अन्य बहुत से माननीय विधायक श्री किशोरी लाल जी (बैजनाथ), डॉ. जनक राज जी (भरमौर), श्री प्रकाश राणा जी (जोगिन्द्रनगर), श्रीमती रीना कश्यप (पच्छाद), श्री बलबीर सिंह वर्मा जी (चौपाल), श्री विनोद कुमार जी (नाचन), श्री त्रिलोक जम्वाल जी (बिलासपुर), श्री रणवीर सिंह जी (नूरपुर), श्री डी0एस0

ठाकुर जी (डलहौजी) और इसमें उन्होंने बहुत-से बहुमूल्य सुझाव इस मान्य सदन में दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहूंगा कि जो ये आवारा पशु हैं, इन पर हर बार विधानसभा में चर्चा होती है। सत्ता पक्ष-विपक्ष के विधायक से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कम-से-कम अपनी पंचायत में बैठकर इसके ऊपर चर्चा करें और इसके लिए कोई अच्छी नीति निर्धारित हो। क्योंकि यह कहा गया कि जब गाय दूध देती है तो वह हमारी है और अगर दूध देना बंद कर देती है तो वह सरकारी है।

एम0डी0द्वारा जारी ....

28-11-2025/1530/AS/MD/1

कृषि मंत्री---जारी

जो गाया या भैंस दूध नहीं देते और बुढ़ापे की तरफ हैं तो वह हमारी नहीं है। यह हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता रही है और जो हमारे सनातनी लोग विपक्ष में बैठे हैं इन्होंने भी आजतक कोई नीति नहीं बनाई। पहले खुली चरागाहें होती थी। पंजाब के वक्त में भी कई गौ सदन चलते थे लेकिन इन गौ सदनों को सरकारें नहीं चलाती थी। इन गौ सदनों को धार्मिक लोगों के द्वारा चलाया जाता था। खास कर शहरों के लोग गौ सदनों के लिए मुफ्त में चारा और बंडा देते थे। सारे गौसदन लोगों के योगदान से चलते थे। बहुत सी गौशालाएं मंदिरों के साथ अटैच थी। हमारा एक गोपाल मंदिर है जोकि इंदौरा चुनाव क्षेत्र में आता है उसमें भी बहुत गौसदन होते थे और वे मंदिर के नाम से चलते थे। पंजाब में भी गौसदन को सनातन धर्म के लोग चलाते थे। इन सारी गौसदनों को धार्मिक संस्थाओं के द्वारा चलाया जाता था लेकिन आज स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो प्राइवेट गौशालाएं हैं उनकी संख्या 260 है और 15 सरकारी गौशालाएं हैं। सरकार ने अब तक गौ सदनों के ऊपर 71 करोड़ 92 लाख 18 हजार 484 रुपये खर्च किए हैं और इस वर्ष भी लगभग 40 करोड़ 4

लाख 65 हजार 523 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। शराब पर लगने वाला सैस पहले डेढ़ रुपया था अब उसे बढ़ाकर अढ़ाई रुपये किया गया है। जो भी सैस का पैसा आता है चाहे बिजली से आता है, चाहे शराब के ठेकों से आता है वह सारा पैसा गौ सदनों के लिए उपयोग के लिए जाता है। पहले हम गौसदनों को प्रति पशु 700 रुपये देते थे अब उसे बढ़ाकर प्रति पशु 1200 रुपये कर दिया गया है। पर मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कोई इस समस्या का हल नहीं है। आप प्रदेश में कितने गौसदन खोलेंगे। निक्का जी ने जंगलों में इन पशुओं को रखने की बात कही। यह कह रहें हैं कि इनके क्षेत्र में बहुत जंगल हैं तो अब आप जंगलों की तरफ चल पड़ेंगे। दुनिया के कई देशों में पशुओं को बाड़े में रखा जाता है जानवर जंगल खुले रहते हैं। । आज हम जंगलों को बाड़ लगा रहें है और पशु खुले हैं। किसी देश में इस प्रकार की परंपरा नहीं है कि आप सबकुछ पशुओं के लिए खोल दो। हमें पशुओं का जो सेंसस किया है इसमें जो मिल्च कैटल हैं वे घटते जा रहे हैं और जो अवारा पशु वे बढ़ते जा रहे हैं। हम सोशल होने की बात की करते हैं अभी हमारे एक विधायक कह रहे थे कि जब लास्ट स्टेज आती है तो गौ

28-11-2025/1530/AS/MD/2

को ढूंढते हैं , क्योंकि कहा जाता है कि अगर वैतरिणी नदी पार करनी है तो गौ माता की पूंछ को पकड़ कर ही वह पार होती है। मैं कहना चाहूंगा कि गाय को पहले से ही अपने पास रखकर उसकी सेवा करो ताकि अंतिम समय में गाय को ढूंढने की जरूरत न पड़े। पुराने समय में जब कोई गाय या बैल मर जाते थे तो उनके सिरहाने में अनाज रखा जाता था और वे परिवार तब तक खाना नहीं खाता जब तक उस गाय बैल का डिस्पोजल न हो जाए, यह शिष्टाचार अब हमने खत्म कर दिया है। हम एक ही बात को पकड़ कर बैठे हैं कि हर चीज सरकारी है और सरकार को ही हर काम का जिम्मा उठाना पड़ेगा। ये जो आवारा पशुओं का मिनेस है यह मिनेस ऊपर से नहीं आई है-यह हमारी ही देन है- हमारी सभ्यता और संस्कृति की देने है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

28.11.2025/1535/केएस/डीसी/1

कृषि मंत्री जारी ---

यह हमारी सभ्यता और संस्कृति की देन है। क्या आपने कोई आवारा भैंस देखी है? आपको सड़क पर सिर्फ आवारा गाय या बैल ही मिलेंगे। पहले जितने भी स्क्रैप कैटल होते थे वे स्लॉटर हाउसिज़ में चले जाते थे। क्योंकि जो स्क्रैप कैटल होते हैं, जो कुछ नहीं देंते उनके खर्चे बढ़ गए हैं। आज तूड़ी का रेट क्या है? आज तूड़ी महंगी है और अनाज सस्ता है क्योंकि तूड़ी बाहर से लेनी पड़ती है। हमारे पास ज्यादा पशु रखने का कोई प्रावधान नहीं है। हमने इसके ऊपर काफी विचार भी किया है कि स्कैप कैटल का कुछ अंशदान हम लोगों को दे दे और कोई आदमी उनको बांध कर रखे और उनको आवार ना छोड़े। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ही है। हमने टैगिंग का काम शुरू किया था। पशुओं के कानों पर टैग लगाए तो लोग उनके कान ही काट देते हैं। उससे पहले हमने उनके पीछे स्टैम्पिंग शुरू की लेकिन उसको भारत सरकार नहीं मानती कि यह पशुओं के साथ क्रूरता है। अभी मैंने विभाग को आदेश दिए हैं कि 10-10, 12-12 पंचायतों का एक सम्मेलन बुलाया जाए। उसमें पशु पालन विभाग के जितने भी डॉक्टर्ज़ हैं, वे वहां पर उसको अटैंड करेंगे। वहां युनिवर्सिटी के डॉक्टर भी जाएंगे। हम देखेंगे कि टीकाकरण के कितने फेलियर्ज़ हैं। उसकी रिवाइवल हम कर सकते हैं या नहीं? उन गायों का हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम उनको कैसे रिवाइव कर सकते हैं। लोगों से भी विचार-विमर्श किया जाएगा कि इसका क्या समाधान हो सकता है क्योंकि आख़िरकार किसानों ने ही तो गाय व बैल आवार छोड़े हैं अतः वे क्या चाहते हैं? अगर हमारे टीकाकरण के फलियर्ज़ हैं तो उसके बारे में भी हमने कहा है कि 8-10 पंचायतों की कॉंफ्रेंस करके उनसे बातचीत करके ,विशेषज्ञ लोग वहां रखे जाएंगे और हम अल्ट्रासाउंड वगैरह उन जानवरों

का करवाएंगे और हम देखेंगे कि उनकी रिवाइवल कैसे हो सकती है। वैसे तो रिवाइवल हो जाती थी क्योंकि जो ग्वाले होते थे वे जानवरों को खुले में ले जा कर चराते थे। वहां जितनी गाय होती थीं वे रिन्यू हो जाती थीं। लोग थोड़ा बहुत उस ग्वाले को दे देते थे लेकिन अब वह परम्परा तो खत्म हो गई। अब सारे के सारे जानवर आइसोलेशन में हैं। लोगों ने अपने घर में रखे होते हैं। जब गाय हीट में होती है तो कई बार हॉस्पिटल दूर पड़ता है तो कई बार टीका लगाने वाले कम्पाउडर को दूर जाना पड़ता है तो फेलियर के कई कारण हो सकते हैं। कई बार हमारे टीकाकरण का कार्यक्रम डिफैक्टिव भी हो सकता

28.11.2025/1535/केएस/डीसी/2

है। टैक्निकल और दूसरे तरीके से हम इसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे लेकिन कम से कम जो हम चुने हुए लोग हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जब पंचायतों में जाते हैं, बैठकें करते हैं तो इस मुद्दे पर भी हमें लोगों से विचार-विमर्श कर उनसे परामर्श लेना चाहिए। यह लोगों की अपनी खड़ी की हुई समस्या है। इसके ऊपर गहन विचार-विमर्श करना पड़ेगा। सरकार इस बारे में गम्भीरता से सोच रही है। लगभग सभी पंचायतों में हमने गौशालाएं खोली हैं जिनके ऊपर काफी खर्चा किया जा रहा है लेकिन जो भी गौशाला खोलने के लिए आता है उसका मोटिव यही होता है कि 50 परसेंट पैसा अपने पास रखे और 50 परसेंट जानवरों पर लगाए। मैंने खुद बहुत सी प्राइवेट गौशालाएं देखी हैं जहां पर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। मोर्टेलिटी रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां सारे के सारे जानवर इकट्ठे रहते हैं। अगर एक को टैम्प्रेचर हो जाता है तो सभी को हो जाता है। अगर एक पशु बीमार होता है तो सारे पशु बीमार हो जाते हैं। जब वे इकट्ठे रहते हैं तो कई किस्म की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। हमारी अपनी सरकारी गौशालों हैं, मैं पीछे पूर्व में जो इस विभाग के मंत्री रहे हैं, उनकी गौशाला देखने भी गया था वहां पर मैंने पूछा कि आपने यहां जे0सी0बी0 क्यों रखी है? मुझे बताया गया कि हमने पहले ही गड्ढे खोल कर रखे हुए हैं और अगर कोई पशु मर जाता है तो उसको गड्ढे में दफ़ना देते हैं। मैंने पूछा कि क्या आपका यही काम है? वह गौशाला सरकारी

है। वहां पूरा चारा नहीं है। वहां डॉक्टर कभी सप्ताह में तो कभी एक महीने में विज़िट करता होगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

28.11.2025/1540/av/डीसी/1

कृषि मंत्री क्रमागत-----

वह विजिट करता भी है या नहीं करता? इसलिए इन गौशालाओं में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहां पर एक विधायक महोदय कह रहे थे कि गौशालाओं में कम-से-कम एक लाख गाय रखी गई हैं। जबकि गौशालाओं में 21,360 पशु हैं, गौशालाओं में लाखों पशु थोड़े ही होंगे? आप मुझे यह बताइए कि गौशालाओं में लाखों पशु कैसे हो सकते हैं? हमें इस विषय पर बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए।

मैंने मसरूर का प्रधान श्री मान सिंह देखा था जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। वह अपनी पंचायत के पशुओं की गणना खुद करता था। वह खुद नोट करता था कि किस व्यक्ति का कौन-सा पशु दूध नहीं देता और फिर 15 दिनों के बाद अपनी पंचायत का दौरा दोबारा से करता था। जिसने भी पशु छोड़ा होता था उसको वह जुर्माना करता था। साथ में उस व्यक्ति को कहता था कि उस पशु को वहां से लेकर आ जहां पर उसे छोड़ा है। इस प्रकार के कई प्रधान हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। वह प्रधान अपने एरिया में कभी किसी आवारा पशु को आने भी नहीं देता था क्योंकि उसने अपनी पंचायत के सारे पशु स्ट्रॉ फीडिंग पर रखे हुए थे तथा उनका पालन-पोषण घर पर ही किया जाता था।

सरकार इन पशुओं के लिए कितना पैसा बढ़ाती जाएगी? पहले 700 रुपये दिए जाते थे और अब वह राशि 1200 रुपये प्रति पशु तक पहुंच गई है। सरकार ने पंचायतों को लोगों पर फाइन करने की पावर दी है। कोई आदमी फाइन नहीं करता, कोई प्रधान और विधायक भी फाइन नहीं करता क्योंकि सबने चुनाव लड़ना होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम

सभी चुनावों में फंसे हुए हैं। एक्ट में यह प्रोविजन किया हुआ है कि प्रधान 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक फाइन कर सकता है। नेशनल हाईवेज के ऊपर अगर पशु पाया जाता है तो वहां पर लोक निर्माण विभाग को उस बारे में संज्ञान लेने की पूरी छूट दी गई है। इस एक्ट के तहत कई पीनल क्लॉजिज भी लगाई गई हैं।

28.11.2025/1540/av/डीसी/2

अभी एक विधायक महोदय कह रहे हैं कि पशुओं में टैग लगे हुए हैं और टैग में कोड नम्बर भी दिए हुए हैं। उस कोड में सब-डिवीजन और घर का नम्बर भी होता है। अगर उसको पकड़कर ले भी जाते हैं तो हम उस पर जुर्माना नहीं कर सकते क्योंकि जुर्माना तो पंचायत ने करना होता है। इसमें 500 रुपये से 700 रुपये तक जुर्माना करने की पावर दी गई है और पंचायत इस राशि से ज्यादा जुर्माना भी कर सकती है। लेकिन इसमें सभी विभागों को इंवॉल्व होने की जरूरत है। अगर आप यह कहें कि सारी चीजें सरकार को करनी चाहिए तो आप खुद सोचिए कि सरकार कितनी गौशालाएं खोल सकती हैं? फिर गौशालाएं खोलने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता। गौशालाओं में जो जानवर रखे जाते हैं वे सारे किसी-न-किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। गौशालाओं में उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है।

यहां पर जैसे माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह (निक्का) कह रहे थे कि हमारे माननीय सत महाजन जोकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री भी रहें, उनके यहां एक गौशाला थी। वे हर विधान सभा सत्र के दौरान यह मांग लेकर आते थे कि मेरी उस गौशाला को बंद कर दीजिए क्योंकि वहां पर अगर कोई पशु मर जाता है तो उसको कोई उठाने वाला नहीं मिलता। गौशालाओं के नज़दीक पानी के स्रोत होते हैं और मरे हुए पशु को हर कहीं फेंकने से एनवायर्नमैंटल दिक्कतें भी आती हैं।

हम एक तरफ तो प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब प्राकृतिक खेती हवा से तो नहीं होती और अगर पशु नहीं होगा तो कोई व्यक्ति प्राकृतिक खेती कैसे करेगा? हमारी सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए यह तक कहा कि यदि कोई गोबर बेचना चाहे तो हम उसको 3 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदने व उसकी पैकिंग करके आगे बेचने को तैयार हैं।

हम उसको अपने एग्रीकल्चर फार्म्ज में यूज़ कर रहे हैं। हम उसको उद्यान विभाग को भी देना चाहते हैं। यह कोई व्यंग्य की बात नहीं है। We must be very practical in our approach. हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। आप अपनी पंचायतों और विधान सभा क्षेत्रों से गोबर लाइए, हम उसको खरीदने को तैयार हैं। फिर आप लोग लाते नहीं और यहां बाहर खड़े होकर नौटंकी करते हैं। सरकार ने दूध के रेट भी इसीलिए

28.11.2025/1540/av/डीसी/3

बढ़ाए हैं ताकि हमारे किसानों को कम-से-कम गाय-भैंस रखने की आदत पड़ जाए। इसीलिए 50 रुपये प्रति लीटर गाय और 60 रुपये प्रति लीटर भैंस दूध के दाम किए हैं। इसी तरह से फसलों के समर्थन मूल्य भी बढ़ाए हैं ताकि लोग कृषि व प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं।

टी सी द्वारा जारी

28.11.2025/1545/टी0सी0वी0/एच0के0/-1
कृषि मंत्री... जारी

लेकिन यह हम सभी का दायित्व बनता है कि अगर हमारे पास स्क्रैप पशुधन है तो हम उनके गोबर की खाद का कृषि में उपयोग तो कर ही सकते हैं। इसलिए हमारे चुने हुए विधायक अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में कम-से-कम इसके लिए एक मूवमेंट के रूप में काम करें और पंचायतों, ब्लॉक समितियों, जिला परिषद, महिला मंडल, एन0जी0ओ0 और दूसरे ग्रुप्स को विश्वास में लेकर इस बीड़े को उठाए ताकि हम एक मूवमेंट के साथ आगे बढ़ें। लोग अपने पशुओं को खुले में न छोड़कर घर में ही उनका पालन-पोषण करें। सरकार उनकी जितनी मदद कर सकती है उतनी जरूर करेगी। मैं माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि उनका यह संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सभी

इसके बारे में चिंतित हैं लेकिन इसके लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। इसलिए मेरे उत्तर को देखते हुए आप अवश्य इसे वापिस लें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी क्या आप अपना संकल्प वापिस लेना चाहते है?

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा चर्चा के उपरांत दिए गए उत्तर के मद्देनज़र अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

संकल्प वापिस हुआ।

अध्यक्ष : चूंकि अब माननीय सदन के अंदर कोरम पूरा नहीं है और बार-बार घंटी बजाने पर ही कोरम पूरा हो रहा है लेकिन हमारे पास एक और रेजोल्यूशन पैंडिंग है। इसलिए मैं माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी से आग्रह करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें then we discuss it in the next working day.

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने हेतु युवा खेल नीति बनाने पर विचार करें।"

28.11.2025/1545/टी0सी0वी0/एच0के0/-2

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने हेतु युवा खेल नीति बनाने पर विचार करें।"

इस संकल्प का निर्धारित समय 30 मिनट है और चूंकि there is a want of quorum, therefore, I am adjourning this House and this Resolution will be discussed in the next Private Member Day.

अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार, 01 दिसम्बर, 2025 के 2.00 बज़े अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215 **सचिव**
दिनांकः 28.11.2025 **हि0 प्र0 विधान सभा**